शिक्षा की प्रगति

१९७१-७२

शिक्षा निदेशालय, उ०प्र०, इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

भाग–1

(सामान्य शिक्षा)

1971-72

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
1—सामान्य पर्यवेक्षण	1–2
2—प्राथमिक शिक्षा	3–5
3—पूर्व माध्यमिक शिक्षा	6–7
4—उच्चतर माध्यमिक शिक्षा	8–11
5—उच्च शिक्षा	12–13
6—विविध	14–17
7—विभाग की अन्य उल्लेखनीय उपलब्धियां	18–19

अध्याय 1

सामान्य पर्यवेक्षण

1.1—वर्ष 1971-72 चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है। इस वर्ष में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समस्त कार्यक्रम चलाये गये जो इस योजना के प्रथम वर्ष से प्रारम्भ किये गये थे। चतुर्थ योजना में शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर गुणात्मक विकास के लिए विशिष्ट प्रयास किये जा रहे हैं। राजकीय प्रशिक्षण विद्यालयों का भी सुदृढ़ीकरण किया गया।

1.2—शासन ने प्राइमरी शिक्षा की उन्नति एवं उसके राष्ट्रीयकरण की समस्याओं पर विचार करने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है। इन समस्याओं के समाधान से उत्तर प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा और इसको नवीन दिशा एवं गति मिलेगी।

1.3—सहायता प्राप्त हाई स्कूलों और इण्टर कालेजों के अध्यापकों का वेतन विभागीय नियमों के अनुसार तथा समय से देने के लिए कई वर्षों से माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा मांग की जा रही थी। वास्तव में शिक्षा विभाग के मेरुदन्ड शिक्षक ही हैं और इनके सन्तुष्ट रहने पर ही देश की वास्तविक प्रगति हो सकती है। अध्यापकों की इस मांग को पूरा करने के लिए 1 अप्रैल, 1971 से माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन वितरण का अध्यादेश जारी किया गया। अध्यादेश में अध्यापकों का वेतन समय से वितरण करने के लिए निरीक्षक को पूर्ण अधिकार दे दिये गये थे। अगस्त, 71 में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के अध्यापकों एवं कर्मचारियों के वेतन वितरण सम्बन्धी अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम में अध्यादेश की अपेक्षा और अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन कर दिये गये जिनसे एक ओर अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था की गई और दूसरी ओर प्रबन्धाधिकरण को भी समुचित सुविधायें प्रदान की गयीं जिनसे विद्यालय के प्रबन्ध में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।

1.4—अध्यापकों के हितार्थ शासन ने विगत वर्ष में अन्य उपयोगी कार्य भी किये। राज्य कर्मचारियों के समान सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को भी अन्तरिम सहायता दी गई। स्थानीय निकायों द्वारा संचालित प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों का वेतन क्रम 1 फरवरी, 1971 से संशोधित कर दिया गया और 1 जनवरी, 1971 से उनके महंगाई भत्तों की दरों में भी वृद्धि कर दी गई। इन अध्यापकों को 1 अप्रैल, 1971 से 8 रु० प्रति मास की दर से अन्तरिम सहायता प्रदान की गई। 1 अक्तूबर, 1971 से इस अन्तरिम सहायता में भी वृद्धि की घोषणा कर दी गई है।

1.5—उत्तर प्रदेश के जनजीवन में उर्दू के महत्व को ध्यान में रखकर शासन ने उर्दू भाषा एवं साहित्य की तरक्की के लिए एक उर्दू अकादमी स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे उर्दू की शिक्षा के उन्नयन एवं उर्दू की पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता दी जायगी। इसके लिए इस वर्ष 3,05,000 रु० व्यय करने का प्राविधान है।

स्थानीय निकायों के प्राइमरी स्कूलों में आवश्यकतानुसार उर्दू के अध्यापकों की नियुक्ति विगत दो वर्षों से की जा रही है।

1.6—आख्यागत वर्ष में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण पग उठाये गये। कई वर्षों से यूनियन के प्रश्न पर छात्रों में तीव्र असन्तोष चला आ रहा था। उनमें सन् 1970 के उस अध्यादेश पर विशेष क्षोभ था जिसके अनुसार छात्र यूनियन की सदस्यता वैकल्पिक कर दी गई थी। छात्र समाज के संगठन सम्बन्धी अधिकारों और राजनीतिक खतरों को दृष्टि में रखकर प्रदेश की सरकार ने इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया। इससे उत्तर प्रदेश के छात्रों में सन्तोष की लहर व्याप्त हुई और अध्ययन में लगे रहने के लिए वातावरण शांतिमय और अनुकूल हो गया।

1.7—भारत पर पाकिस्तान द्वारा युद्ध की घोषणा के बाद देश में भावात्मक एकता एवं मनोबल अक्षुण रखने के लिए शिक्षा विभाग के छात्रों और अध्यापकों का योगदान प्रशंसनीय रहा। उत्तर प्रदेश के छात्रों एवं अध्यापकों ने सुरक्षा कोष में 16,30,000 रुपया संग्रह किया और विस्थापितों की सहायता के लिए 65,000 रु० एकत्रित किया। विश्वविद्यालय के छात्रों ने भारतीय जवानों के लिए रक्तदान किया और प्रमुख स्टेशनों पर कैन्टीन चलाये। प्रदेश के विद्यालयों में धन संग्रह हेतु अभिनय आयोजित किये गये और भारतीय जवानों के लिए कपड़े एवं खाद्य सामग्री प्रस्तुत की गई। वास्तव में दिसम्बर, 71 में पाकिस्तान से संघर्ष के समय उत्तर प्रदेश के गांव-गांव और नगर-नगर में रहने वाले छात्रों, छात्राओं, अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं तथा शिक्षा विभाग के अन्य कर्मचारियों ने जो उत्साह प्रदर्शित किया उसका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा।

1.8—1971 के पाकिस्तानी आक्रमण से प्रभावित प्रतिरक्षा कर्मचारियों को वे सभी शैक्षिक सुविधायें दी गयीं जो गत आक्रमण के समय प्रदान की गई थीं। इसके अतिरिक्त युद्ध में वीरगति प्राप्त जवानों की विधवाओं को हाई स्कूल परीक्षा में बिना कक्षा 8 पास किये बैठने की विशेष छूट दी गई।

अध्याय 2

प्राथमिक शिक्षा

2.1—14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने के लिए भारतीय संविधान में शासन का दायित्व घोषित किया गया था। इस दायित्व का पालन करने के लिए उत्तर प्रदेश की पंचवर्षीय योजनाओं में प्राइमरी स्कूल खोले गये। परिणामस्वरूप विगत दो दशकों में प्राथमिक विद्यालयों, छात्रों एवं अध्यापकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई।

चतुर्थ योजना में भी प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा असेवित क्षेत्रों में प्रदान करने के लिए जूनियर बेसिक स्कूल खोलने तथा अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की परियोजना कार्यान्वित की गई। वर्ष 1971-72 में 286 बालिकाओं के तथा 59 मिश्रित जूनियर बेसिक स्कूल खोलने का प्राविधान है। 15,220 अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति की जायगी। इस वर्ष के अन्त में कक्षा 1 से 5 तक बालकों की छात्र संख्या 70 लाख, बालिकाओं की संख्या 43.44 लाख तथा कुल छात्र संख्या 113.44 लाख हो जाने की सम्भावना है।

2.2—प्रारम्भिक स्कूलों के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए इस समय प्रदेश में पुरुषों के 122 तथा महिलाओं के 37 राजकीय दीक्षा विद्यालय हैं जिनमें बी० टी० सी० प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों की 62 तथा महिलाओं की 9 मान्यता प्राप्त कक्षायें हैं जो अराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संलग्न हैं। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों तथा प्रशिक्षण विद्यालयों के साथ संलग्न बी० टी० सी० इकाइयों—2 पुरुषों तथा 19 महिलाओं की चल रही हैं।

प्रदेश में 12 सेवाकालीन प्रशिक्षण केन्द्र हैं। इनमें 10 केन्द्र अध्यापकों के लिए तथा 2 अध्यापिकाओं के लिए हैं। इसके अतिरिक्त राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद में अदीक्षित अध्यापकों को पत्राचार प्रणाली से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

प्रारम्भिक स्तर पर 4 विस्तार सेवा केन्द्र इस समय चल रहे हैं जिनके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में नवीनतम विचारधाराओं तथा शिक्षण पद्धति से अवगत किया जाता है।

प्रारम्भिक शिक्षा की समस्याओं पर शोध कार्य, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के सेवा कालीन प्रशिक्षण और वर्तमान शैक्षिक समस्याओं पर नवीनतम विचारों के प्रसार हेतु इलाहाबाद में राज्य शिक्षा संस्थान स्थापित किया गया है।

2.3—प्रारम्भिक शिक्षा की प्रगति में विद्यालयों की बढ़ती हुई संख्या के लिए निरीक्षकों तथा निरीक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 1970-71 में प्रत्येक श्रेणी के निरीक्षकों की संख्या निम्नवत् थी :—

निरीक्षक/निरीक्षिकायें	संख्या	
जिला विद्यालय निरीक्षक श्रेणी—1	30	
जिला विद्यालय निरीक्षक श्रेणी—2	24+10	अवकाश तथा ट्रेनिंग रिजर्व हेतु।
सह जिला विद्यालय निरीक्षक	21	
जिला विद्यालय निरीक्षिका	4	
उप विद्यालय निरीक्षक	54	
उप विद्यालय निरीक्षिका	40	
अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक	15	
सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका	244	
प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	961	

वर्ष 1971-72 में योजनान्तर्गत 14 अतिरिक्त उप विद्यालय निरीक्षक, एक जिला बालिका विद्यालय निरीक्षिका, 12 सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका एवं 10 प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों के पद और सृजित किये गये हैं।

2.4—अध्यापक कल्याण कार्य—

अध्यापकों के कल्याण के लिए तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु शासन निरन्तर प्रयत्नशील है 1 फरवरी, 1971 से इनके वेतन मान तथा 1 जनवरी, 1971 से महंगाई दरों में वृद्धि कर दी गई है। इन अध्यापकों को 1 अप्रैल, 1971 से 8 रु० प्रति मास की दर से अन्तरिम सहायता प्रदान की गई। अक्तूबर 71 से इसमें भी वृद्धि कर दी गई है।

अध्यापकों के लिए लाभत्रयी योजना चलाई गई है। अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए इनको नकद पुरस्कार भी दिया जाता है। समाज में अध्यापक को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष चुने हुए कर्त्तव्यनिष्ठ अध्यापकों को राज्य पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं।

वर्ष 1971-72 में 62 विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु तथा 80 विद्यालय भवनों के सुधार हेतु क्रमशः 3,10,000 रु० तथा 2,00,000 रु० का प्राविधान किया गया है।

2.5—स्वावलम्बी स्कूल—

विद्यालय रहित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय खोलने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों को प्रोत्साहन दिया गया। चतुर्थ योजना में 1500 स्वावलम्बी विद्यालयों को 300 रु० का प्रति विद्यालय की दर से एक मुश्त अनुदान देने का निश्चय किया गया है। वर्ष 1971-72 में 236 स्वावलम्बी विद्यालयों को 71,000 रु० का एक मुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया है।

2.6—उर्दू के अध्ययन की सुविधायें—

उत्तर प्रदेश के जिन प्राइमरी स्कूलों में उर्दू पढ़ने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त है और जिन स्थानीय निकायों में धनाभाव के कारण उर्दू अध्यापकों को नियुक्त करना सम्भव नहीं है उनमें वर्ष 1969-70 में 848 और वर्ष 1970-71 में 229 उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। वर्ष 1971-72 में उर्दू शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु लगभग 16 लाख लाख रु० व्यय करने का प्राविधान है।

उर्दू के विकास एवं प्रचार योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971—72 में साहित्य, विज्ञान और कला की उपयोगी उर्दू की मौलिक पुस्तकों पर 1,000 रु० से 2,000 रु० का पुरस्कार देने का प्राविधान किया गया है।

अध्याय 3

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

3.1--संख्यात्मक वृद्धि--विद्यालय, छात्र संख्या एवं अध्यापक--

विगत दो दशाब्दियों में उत्तर प्रदेश के सीनियर बेसिक विद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। छात्र संख्या में वृद्धि के साथ अतिरिक्त अध्यापकों की भी नियुक्ति करनी पड़ी। प्रदेश के इण्टर कालेजों और हाई स्कूलों से सम्बद्ध सीनियर बेसिक कक्षाओं में भी इस स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है। वर्ष 1971-72 के अन्त में कक्षा 6 से 8 तक 15.43 लाख बालक तथा 3.95 लाख बालिकायें होंगी।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए वर्ष 1971-72 में 130 बालकों के तथा 147 बालिकाओं के सीनियर बेसिक स्कूल खोले गये तथा 362 अध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।

गैर सरकारी स्कूलों को अनुदान देने की नीति भी अपनाई गई है। वर्ष 1971-72 में 170 विद्यालय अनुदान सूची पर लाये जायेंगे। प्रदेश के उन क्षेत्रों में जहां इस स्तर की शिक्षा पर्याप्त नहीं है विद्यालय खोलने हेतु 115 विद्यालयों को एक मुश्त अनुदान देने का प्राविधान किया गया है।

3.2--पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तक--

जूनियर हाई स्कूलों के गणित तथा विज्ञान की पुस्तकों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया गया है। यूनीसेफ/यूनेस्को के एक कार्य-क्रम के अनुसार विज्ञान के नवीन पाठ्यक्रम को विकसित करने का प्रयास राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान तथा राजकीय केन्द्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद के तत्वावधान में किया जा रहा है। सीनियर बेसिक स्कूल की कक्षा 8 तक हिन्दी, अंकगणित, बीजगणित तथा रेखागणित की पाठ्य पुस्तकों को राष्ट्रीयकृत किया गया है।

3.3--पुनर्व्यवस्था योजना--

इस योजना के अन्तर्गत शिल्प का शिक्षण विशेषतः कृषि और कताई-बुनाई पुनर्व्यवस्थित करने के लिए विभाग द्वारा प्रभावी पग उठाये गये। विद्यालय और समुदाय को एक दूसरे के निकट लाने के लिए 2200 युवक मंगल दल तथा 500 सामुदायिक केन्द्र पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों में संगठित किये गये हैं।

पुनर्व्यवस्थित विद्यालयों में प्राप्त 21,000 एकड़ भूमि में लगभग 15,000 एकड़ भूमि कृषि के योग्य बनाई गई है। 8,000 एकड़ भूमि में सिंचाई के साधन दिये जा चुके हैं। वर्ष 1971-72 में पम्पिंग सेट और रहट के लिए 20 विद्यालयों को अनुदान देने का प्राविधान है।

3.4—प्रशिक्षण—

प्रदेश में इस समय पुरुषों के लिए चार राजकीय तथा एक अशासकीय जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज है। महिलाओं के लिए तीन राजकीय सी० टी० प्रशिक्षण, महाविद्यालय, लखनऊ, मोदी नगर (मेरठ) और झांसी में तथा एक मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय, आगरा में हैं। गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद में सी० टी० स्तर पर गृह विज्ञान का प्रशिक्षण दिया जाता है। विज्ञान की शिक्षा की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए इस प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए 65 प्रतिशत विज्ञान की अभ्यर्थिनियों को वरीयता दी जाती है। सी० टी० स्तर के प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रवेश हेतु न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण है।

3.5—विज्ञान की शिक्षा—

इस स्तर पर विज्ञान शिक्षा की नींव सुदृढ़ करने के लिए चतुर्थ योजना के दो वर्षों में 544 विद्यालयों में सामान्य विज्ञान के अध्यापन हेतु अनुदान दिये गये हैं। वर्ष 1971-72 में 180 विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा प्रारम्भ करने की व्यवस्था की गई है।

3.6—अध्यापक कल्याण कार्य—

सीनियर बेसिक स्कूल के अध्यापकों के वेतनमान तथा महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गई है। इन अध्यापकों को 1 अप्रैल, 1971 से 8 रु० प्रतिमास की दर से अन्तरिम सहायता प्रदान की गई है। 1 अक्तूबर, 1971 से इसमें और वृद्धि की गई है।

3.7—बालिका शिक्षा हेतु चतुर्थ योजना में विशिष्ट कार्य-क्रम—

1—सीनियर बेसिक स्कूल की निर्धन छात्राओं के लिए पाठ्य पुस्तकालय हेतु वर्ष 1969-70 में 100 तथा 1970-71 में भी 100 विद्यालयों को अनुदान दिये गये हैं। वर्ष 1971-72 में भी विद्यालयों को अनुदान देने का प्राविधान है।

2—ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए बालिका विद्यालयों में क्रमोत्तर कक्षायें खोलने हेतु वर्ष 1969-70 में 49 तथा वर्ष 1970-71 में 41 विद्यालयों को अनुदान दिये गये। वर्ष 1971-72 में 50 विद्यालयों को यह अनुदान देने का प्राविधान किया गया है।

अध्याय 4

उच्चतर माध्यमिक शिक्षा

4.1—संख्यात्मक वृद्धि—विद्यालय, छात्र एवं अध्यापक—

उत्तर प्रदेश में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में प्रति वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। स्वतंत्रता के पूर्व प्रदेश में केवल 442 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में यह संख्या 987 थी जो वर्ष 1969–70 में बढ़कर 3,149 हो गयी। विद्यालयों की संख्या में वृद्धि के साथ अध्यापकों और छात्रों की संख्या में भी वृद्धि हुई है।

4.2—पाठ्य क्रम—

1973 की परीक्षाओं से निम्नलिखित विषयों के पाठ्यक्रम में सुधार करके इनको अधिक ग्राह्य और प्रगतिशील बनाया गया है :

हाई स्कूल स्तर–सभी विषयों के पाठ्यक्रम वही हैं जो 1972 की परीक्षाओं के लिये निर्धारित हैं। केवल इतिहास के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है।

इन्टरमीडिएट स्तर–इस स्तर पर केवल इतिहास के पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है।

4.3—पाठ्य पुस्तकें—

वर्ष 1970 में परिषद् की 1972 की परीक्षाओं के लिये अंग्रेजी, रसायन विज्ञान एवं कृषि विज्ञान की नवीन पुस्तकें संस्तुत की गईं। 1971 के अनुत्तीर्ण छात्रों को अंग्रेजी विषय की पुरानी पाठ्य पुस्तकों से 1972 की परीक्षा में बैठने की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

(2) पाठ्य पुस्तकों में 1973 की परीक्षा के लिये कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं है। 1972 की पाठ्य पुस्तकें 1973 में चलती रहेंगी।

4.4—प्रशिक्षण—

माध्यमिक स्तर के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रदेश में 4 राजकीय तथा 6 अराजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। इनमें से एक राजकीय तथा एक अराजकीय एल० टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय महिलाओं के लिये हैं। अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में भी महिला छात्राओं का प्रवेश होता है। इसके अतिरिक्त राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय वाराणसी में कुल निर्धारित प्रवेश स्थानों में 50 प्रतिशत स्थान महिलाओं के प्रवेशार्थ निश्चित किया गया है।

राजकीय सेन्ट्रल पेडागाजिकल इन्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद तथा राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ, प्रत्येक में 100 तथा राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी में 120 वार्षिक स्थान हो गये हैं। राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ में एल० टी० (विज्ञान) के प्रशिक्षण हेतु 30 स्थान की भी व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त अलीगढ़, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग हैं और आगरा, मेरठ तथा कानपुर विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कतिपय डिग्री कालेजों में भी शिक्षा विभाग हैं जो बी० टी० अथवा बी० एड० की उपाधि प्रदान करते हैं।

राज्य हिन्दी संस्थान वर्ष 1969–70 में हिन्दी का शिक्षण उत्कृष्ट करने के लिये स्थापित किया गया।

राजकीय महिला शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद और राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, रामपुर में शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

4.5––अध्यापक कल्याण कार्य––

(क) वेतन मान एवं महंगाई भत्ता––सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक तथा सीनियर बेसिक विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन मान में 1 मार्च, 1969 से वृद्धि की गई। 1 जुलाई, 1969 से ये वेतन मान पुनः पुनरीक्षित किये गये।

इन अध्यापकों को इस समय वही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है जो शासकीय कर्मचारियों को दिया जाता है। 1–4–71 से 8 रु0 प्रति मास की दर से अन्तरिम सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 1–10–71 से इसमें भी वृद्धि कर दी गई है।

(ख) वेतन भुगतान अधिनियम––जनवरी, 1971 में "उत्तर प्रदेश हाई स्कूल तथा इण्टर" मीडिएट कालेज, (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अध्यादेश, 1971 प्रख्यापित किया गया जो 1 अप्रैल, 1971 से प्रवृत्त किया गया ह। अधिनियम अगस्त, 1971 में पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के वेतन भुगतान का दायित्व अब शिक्षा विभाग ने ले लिया है और अब जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से चेक द्वारा वेतन का भुगतान किया जाता है। यह माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं कल्याणकारी कार्य है। इससे अध्यापकों में व्याप्त असन्तोष दूर हो गया है और वे अब राहत का अनुभव करते हैं।

(ग) दक्षता हेतु पुरस्कार––उच्चतर योग्यता प्राप्त करने के लिये अध्यापकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार देने की नीति वर्ष 1966–67 से अपनाई गई है। वर्ष 1969–70 में 53 अध्यापकों को और वर्ष 1970–71 में 40 अध्यापकों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस वर्ष भी अध्यापकों को पुरस्कार प्रदान करने के लिये 33,000 रु० का प्राविधान किया गया है।

(घ) शिक्षणेतर कर्मचारी––सहायता प्राप्त उच्चतर तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये भी कार्य किये गये हैं। 1 जनवरी, 1971 से इन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के वेतन मान 1–7–1969 से पुनरीक्षित कर दिये गये।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर वर्ष 1971–72 में 34,155 छात्रवृत्तियों तथा 16,117 आर्थिक सहायतायें देने तथा रु० 1,11,27,000 की छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने का प्राविधान है।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बालकों को प्राइमरी से इण्टर कक्षाओं तक 524 छात्रवृत्तियां, 2,016 पुस्तकीय सहायता और स्नातक स्तर पर 216 छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने तथा उस पर 2,60,000 रु० व्यय होने का प्राविधान है।

सीमान्त क्षेत्रों या युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू० पी० पी० ए० सी० जवानों और सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं से इण्टर कक्षाओं तक 265 छात्रवृत्तियां तथा 1,075

पुस्तकीय सहायता, स्नातक स्तर पर 60 छात्रवृत्तियां (30 प्रथम वर्ष तथा 30 द्वितीय वर्ष) स्वीकृत करना तथा उस पर 70,000 रु० व्यय होने का प्राविधान है।

इण्डियन स्कूल आफ इन्टर नेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में शोध कार्य करने वाले छात्रों को 2 छात्रवृत्तियां 3 वर्ष हेतु स्वीकृत करने तथा उस पर 22,000 रु० व्यय होने का प्राविधान है।

जूनियर हाई स्कूल परीक्षा के आधार पर सभी जनपदों के प्रथम 5 बालक/बालिकाओं की एक परीक्षा होती है जिसमें सर्वोच्च 15 छात्रों/छात्राओं को छात्रावासी होने पर कक्षा 9–10 म 100 रु० प्रतिमाह तथा इन्टर कक्षाओं में 150 रु० प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देने का प्राविधान है। इन चुने छात्रों को छात्रावासी न होने पर 50 रु० प्रति माह की छात्रवृत्ति देय होगी। इस योजना से 71–72 में पन्द्रह छात्र लाभान्वित हुए। वर्ष 69–70 के सम्बन्ध में मुख्यतया उल्लेखनीय है कि जिन छात्रों ने योजना लक्ष्य के अन्तर्गत चुने जाने के उपरान्त भी योजना नियमावली के अनुसार अपना अध्ययन नहीं किया था उन्हें शासन द्वारा नियम में कुछ शिथिलता दी गई जिसके फलस्वरूप वे भी लाभान्वित श्रेणी में आ गये हैं। इस प्रकार वर्ष 69–70 के लाभान्वित छात्रों की संख्या 15 हो गई है।

4.7—पुस्तकालय—

चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में 56 अशासकीय तथा 40 राजकीय विद्यालयों को पुस्तकालयों की स्थापना हेतु अनुदान दिया गया। वर्ष 1971–72 में 110 अशासकीय तथा 65 राजकीय विद्यालयों को पुस्तकालयों की स्थापना के लिये अनुदान देने का प्राविधान है।

4.8—क्रीड़ास्थल—

अशासकीय विद्यालयों में खेल के मैदान की व्यवस्था हेतु चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में 24 विद्यालयो को अनुदान दिया गया है। वर्ष 1971–72 में 14 विद्यालयों को अनुदान देने का प्राविधान है।

4.9—दक्षता अनुदान—

प्रदेश के विद्यालयों को दक्षता अनुदान उत्तम विद्यालयों को दिया जाता है। चतुर्थ योजना के प्रथम दो वर्षों में 120 विद्यालयों को अनुदान स्वीकृत किया गया। वर्ष 1971–72 में भी 60 विद्यालयों को दक्षता अनुदान देने का प्राविधान है।

4.10—वर्ष 1971–72 के अन्य अनुदान—

माध्यमिक शिक्षा के विस्तार एवं उन्नयन करने के लिये इस वर्ष 98 गैर सरकारी स्कूलों को अनुदान सूची पर लाने का प्राविधान है। 55 विद्यालयों को उदारता पूर्वक अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। 7 विद्यालयो को तदर्थ अनुदान स्वीकृत करने का प्राविधान है। 158 विद्यालयों को, छात्र संख्या में वृद्धि के कारण भवन एवं काष्ठोपकरण हेतु अनुदान देने का प्राविधान है। 20 सह शिक्षा वाले विद्यालयों की बालिकाओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिये अनुदान देने का प्राविधान है। 12 कन्या विद्यालयों को बसों की व्यवस्था हेतु अनुदान देने का प्राविधान किया गया है।

- 1971–72 में बालकों के दो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये। बालकों के 6 तथा बालिकाओं के 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूलों को हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकृत किया

गया। इसके अतिरिक्त बालकों के 3 तथा बालिकाओं क 4 राजकीय हाई स्कूलों को इन्टर स्तर तक उच्चीकृत किया गया। 125 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या में वृद्धि के करण काष्ठोपकरण की व्यवस्था की गई। 18 बालकों के तथा 7 बालिकाओं के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को विज्ञान अध्यापन तथा नवीन विज्ञान प्रयोगशालाओं के निर्माण की व्यवस्था हेतु अनुदान स्वीकृत किया गया। 6 राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बसों की व्यवस्था का प्राविधान है।

दो अराजकीय विद्यालयों के प्रान्तीयकरण करने का प्राविधान किया गया है।

4.11—माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद—

परिषद् की हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या दो वर्ष की परीक्षाओं से संबंधित विवरण निम्नवत है।

वित्तीय वर्ष	परीक्षा वर्ष	हाई स्कूल परीक्षा			इन्टरमीडिएट परीक्षा		
		बालकों के विद्यालय	बालिकाओं के विद्यालय	योग	बालकों के विद्यालय	बालिकाओं के विद्यालय	योग
1970–71	1972	2,836	560	3,396	1,567	314	1,881
1971–72	1973	3,039	572	3,611	1,629	319	1,948

अध्याय 5

उच्च शिक्षा

5.1–संख्यात्मक वृद्धि—विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, छात्र एवं प्राध्यापक—

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी स्वतंत्रता के बाद संख्यात्मक वृद्धि का युग प्रारम्भ हुआ। स्वतंत्रता संग्राम के समापन के पश्चात् यह स्वाभाविक था।

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1970–71 में कुल 236 डिग्री कालेज, 11 विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के समकक्ष दो संस्थायें थीं।

चतुर्थ योजना में उच्च शिक्षा के लिये आर्थिक प्राविधान किया गया है। उच्च स्तरीय शिक्षा के विकास एवं उन्नयन हेतु वर्ष 1971–72 में पर्वतीय क्षेत्रों में दो राजकीय डिग्री कालेज, पौड़ी तथा कोटद्वार (गढ़वाल) में स्थापित किये गये। उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विधेयक प्रस्तुत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 11 अशासकीय डिग्री कालेजों को अनुदान सूची पर लाने का प्राविधान है। 10 डिग्री कालेजों को दक्षता अनुदान दिया जायगा। उपाधि महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा के अधीक्षक की व्यवस्था हेतु अनुदान स्वीकृत किये जायेंगे। विश्वविद्यालयों एवं डिग्री कालेजों को विकास अनुदान भी दिया जायगा। अल्मोड़ा स्थित महाविद्यालय का प्रान्तीयकरण करने का प्राविधान किया गया है।

5.2–पाठ्य विषय, शिक्षा प्रणाली एवं पाठ्य-पुस्तक—

विश्वविद्यालयों के पाठ्य विषयों में नवीन विषयों का समावेश किया गया जैसे—समाज शास्त्र, पुरातत्व शास्त्र, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन तथा प्रबन्ध एवं व्यापार–प्रशासन आदि। इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय रुड़की, कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर तथा संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी अपने अपने विषयों में स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करते हैं। पुराने विश्वविद्यालयों में भी नवीन विषयों का अध्यापन प्रारम्भ किया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बी० टक् तथा एम० एस–सी० बायोकेमेस्ट्री के पाठ्यक्रम वर्ष 1968–69 में चालू किये गये। मेरठ विश्वविद्यालय में एम० फिल० का अध्यापन प्रारम्भ कर दिया गया है।

विश्वविद्यालयों की शिक्षा पद्धति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुये हैं। गोरखपुर तथा मेरठ विश्वविद्यालय में सेमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ की गयी है। इसके अतिरिक्त मेरठ विश्वविद्यालय में पत्राचार पाठ्यक्रम भी चालू किया गया है जिसके अन्तर्गत पत्र व्यवहार द्वारा शिक्षा दी जाती है।

राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल की एम० एस–सी० कक्षा में 1967-68 से न्यूक्लियर फियूजिक्स तथा छात्राओं के लिये बी० ए० कक्षा में संगीत का अध्यापन प्रारम्भ किया गया। राजकीय डिग्री कालेज, ज्ञानपुर वाराणसी में एम० एस–सी० कक्षा में भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र के शिक्षण की व्यवस्था की गयी है। राजकीय डिग्री कालेज, रामपुर में अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, गणित, हिन्दी, उर्दू, राजनीतिशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, रसायन शास्त्र तथा भौतिक शास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ की गयीं। राजकीय डिग्री कालेज गोपेश्वर (चमोली) में बी० ए० और बी० एस–सी० का अध्यापन हो रहा है। वर्ष 1971–72 में राजकीय डिग्री कालेज श्रीनगर (गढ़वाल) में एम० ए० की तथा पिथौरागढ़ में एम० ए० और एम० एस–सी० की स्नातकोत्तर कक्षायें प्रारम्भ की गयी हैं।

विश्वविद्यालयों में हिन्दी के माध्यम से अध्यापन की सुविधा हेतु विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य-पुस्तकों की हिन्दी में रचना तथा अनुवाद के लिये हिन्दी ग्रंथ अकादमी स्थापित की गई है। विश्वविद्यालयों की पाठ्यपुस्तकों को प्रकाशित करने के लिये वर्ष 1969–70 तथा 1970–71 में क्रमशः 7 लाख तथा 5 लाख रु० का अनुदान दिया गया। इस वर्ष भी यह अनुदान दिया जायगा।

5.3– अध्यापक कल्याण कार्य—

उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय एवं डिग्री कालेजों के प्राध्यापकों को 1 अप्रैल, 1966 से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत नये वेतन मान दिये जाते हैं। शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी गयी है।

5.4– छात्र कल्याण कार्य—

स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालयों का कार्य क्षेत्र विस्तृत हो गया है। अब विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों में छात्र कल्याण के कार्यक्रम हेतु अधिकाधिक व्यवस्था की जाती है। छात्रों की समस्याओं के समाधान हेतु विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण अधिष्ठाता (डीन स्टूडेन्ट्स वेलफेयर) के पद सृजित हैं जिन पर अनुभवी एवं प्रतिष्ठित प्रोफेसर नियुक्त किये जाते हैं।

प्रतिभाशाली तथा परिश्रमी छात्रों के लिये विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।- निर्धन छात्रों को पुस्तक सहायता हेतु आर्थिक प्राविधान भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त इलाहाबाद, लखनऊ और गोरखपुर विश्वविद्यालयों में सहकारी वाचनालय खोले गये हैं जिनसे छात्रों को पूरे सत्र के लिये पुस्तकें उपलब्ध होती है।

विश्वविद्यालयों के छात्रों के सेवायोजन सम्बन्धी सूचनायें प्रसारित करने के लिये छात्र सेवायोजन ब्यूरो स्थापित किये गये हैं।

5.5–छात्रों में कई वर्षों से यूनियन के प्रश्न पर गहरा असंतोष चल रहा था। उनमें सन् 1970 के उस अध्यादेश पर विशेष आक्रोश था जिसके अनुसार छात्र यूनियन की सदस्यता वैकल्पिक कर दी गई थी। छात्र समाज के संगठन सम्बन्धी अधिकारों और राजनीतिक खतरों को दृष्टि में रखकर प्रदेश की सरकार ने इस अध्यादेश को निरस्त कर दिया है।

अध्याय 6

विविध

6.1—सामाजिक शिक्षा—

समाज शिक्षा के क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित शिक्षा प्रसार विभाग देश एवं समाज के परिवर्तित होते मानदण्डों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप निरन्तर गतिशील है। आरंभ में इस विभाग का मुख्य कार्य निरक्षर लोगों को साक्षर बनाना, साक्षरों की साक्षरता स्थिर करना, साक्षरता संबंधी साहित्य का प्रकाशन एवं अभियानों का संचालन आदि था। अब इस कार्य ने समाज शिक्षा का व्यापक स्वरूप धारण कर लिया है। इस कार्य का कुछ अंश जिलों के अन्तर्गत तथा कुछ मुख्यालय पर ही किया जाता है। जिला स्तर पर प्रौढ़ पाठशालायें, ग्रामीण पुस्तकालय, वाचनालय आदि संचालित किये जाते हैं तथा मुख्यावास पर प्रौढ़ों का ज्ञानवर्द्धन करने वाले शैक्षिक उपादानों का निर्माण होता है। समाज शिक्षा को गति प्रदान करने के लिये चार सचल दल हैं :— .

एक साक्षरता दल, एक गोष्ठीदल, एक पुस्तकालय दल तथा एक प्रदर्शनीदल है। ये दल शिविरों, पाठशालाओं, गोष्ठियों, प्रदर्शनियों, आदि का आयोजन कर ग्रामीण समाज का ज्ञान वर्द्धन करते हैं।

प्रौढ़ शिक्षा की तीन योजनायें चलायी जा रही हैं। किसान साक्षरता योजना, नगर पालिकाओं में रात्रि प्रौढ़ पाठशालाओं की योजना तथा महाराष्ट्र की ग्राम शिक्षण महिम योजना। जनहित की इन योजनाओं पर लगभग साढ़े सात लाख रुपये व्यय किया जा रहा है।

6.2—मनोविज्ञान शाला—

मनोविज्ञान शाला प्रदेशीय शिक्षा विभाग की एक प्रमुख संस्था है जिसका मुख्य कार्य निर्देशन प्रदान करना है। प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इस सेवा के प्रमुख केन्द्र हैं। अन्य शिक्षालयों एवं सामान्य जनता के लिये भी आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त मनोवैज्ञानिक जांच तथा परामर्श की सुविधा उपलब्ध की जाती है। मनोविज्ञान शाला द्वारा (1) शैक्षिक, (2) व्यावसायिक, (3) वयक्तिक तीन प्रकार के निर्देशन का कार्य व्यक्तिगत एवं सामूहिक स्तर पर किया जाता है। निदेशन संबंधी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी इस संस्था का महत्वपूर्ण कार्य है।

6.3— शिशु शिक्षा—

प्रदेश में शिशु विद्यालय मुख्यतः निजी संस्थाओं द्वारा संचालित हो रहे हैं। प्रयोगात्मक रूप से शासन स्वतः कुछ शिशु संस्थाओं का संचालन कर रही है। गैर सरकारी नर्सरी स्कूलों को यथासंभव सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1971—72 में 2,50,215 रु0 सहायता प्राप्त नर्सरी स्कूलों को आवर्तक अनुरक्षण अनुदान देने तथा असाहाय्यिक शिशु विद्यालयों को 10,000 रु0 का अनावर्तक अनुदान देने का प्राविधान है।

शिशु शिक्षा के हेतु अध्यापिकाओं को उपलब्ध करने के लिये 2 राजकीय तथा 3 मान्यता प्राप्त शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं जिनमें सी0 टी0 नर्सरी दो वर्षीय पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण दिया जाता

है। राजकीय शिशु प्रशिक्षण महाविद्यालय इलाहाबाद को शिशु शिक्षा में विशिष्टता प्राप्त करने की सुविधा दी गई है —

शिशु शिक्षा की प्रगति निम्नलिखित तालिका से विदित हो जाती है —

वर्ष			विद्यालयों की संख्या	छात्र संख्या	शिक्षकों की संख्या
1965–66	..	..	153	19,625	922
1970–71	..	..	230	29,000	1,500

6.4—संस्कृत शिक्षा—

संस्कृत पाठशालाओं की प्रगति के लिये शासन ने अनुदान में वृद्धि की है। वर्ष 1961–62 में सहायता प्राप्त पाठशालाओं की संख्या 635 थी। अब 1969–70 में 803 हो गई। वर्ष 1971–72 में संस्कृत के प्रसार के लिये प्रारंभिक अनुरक्षण, पुस्तकालय हेतु तथा सज्जा काष्टोपकरण हेतु अनुदान देने का प्राविधान किया गया है।

पहले, प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के विद्यालयों को छोड़कर अन्य विद्यालयों में कोई वेतन क्रम निश्चित नहीं था। प्रधानाचार्य को 120 रु0 तथा सहायक अध्यापकों को 75 रु0 मासिक वेतन दिया जाता था। उन्हें कोई वेतन वृद्धि नहीं दी जाती थी। अब 200 रु0 से कम वेतन पाने वाले अध्यापकों को 30 रु0 मासिक तदर्थ वेतन वृद्धि दी जाने लगी है।

संस्कृत वाङमय के प्रचार एवं प्रसार हेतु सरकार ने संस्कृत के विशिष्ट विद्वानों को आर्थिक सहायता देने की योजना अपनायी है। इसके अतिरिक्त पिछले कई वर्षों से संस्कृत के प्रतिष्ठित ऐसे विद्वानों को जो अपने ही आवास पर कुछ छात्रों को पढ़ाते हैं या अनुसंधान कार्य में योगदान देते हैं धनराशि प्राप्त होती है।

संस्कृति विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं।

6.5—अरबी-फारसी शिक्षा—

प्रदेश में अरबी–फारसी के सहायता प्राप्त मदरसों की कुल संख्या 123 है।

प्रदेश में इन मदरसों की देख-रेख के लिये एक निरीक्षक है जो अरबी-फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार है और पदेन रामपुर के मदरसा आलिया के बोर्ड के मंत्री भी है। अरबी-फारसी मदरसों के निरीक्षक के साथ-साथ ये उर्दू माध्यम स्कूलों के भी निरीक्षक हैं। इस वर्ष अरबी फारसी विद्यालयों की शिक्षा के विस्तार हेतु 2 विद्यालयों को प्रारंभिक अनुदान, 6 विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान, 5 को सज्जा अनुदान तथा 1 विद्यालय को भवन अनुदान दिया गया है।

6.6—आंग्ल भारतीय शिक्षा—

उत्तर प्रदेश में 52 आंग्ल भाषा विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में अध्यापक का माध्यम अंग्रेजी है। इनके पाठ्यक्रम में हिन्दी, संस्कृत तथा भारतीय इतिहास भी वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाये जाते हैं। इनमें से कुछ विद्यालयों की परीक्षा कौंसिल फार इंडियन स्कूल सार्टीफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित की जाती है। इनमें से कुछ विद्यालयों को माध्यमिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद

द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इन विद्यालयों में से 10 विद्यालय शिक्षा संहिता की धारा 308 के अन्तर्गत शासन से अनुदान प्राप्त करते हैं। वर्ष 1971–72 में आंग्ल भारतीय विद्यालयों को आवर्तक अनुरक्षण अनुदान स्वीकृत करने के लिये 4,09,700, रु० का प्राविधान है।

आंग्लभारतीय विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण सेन्टमेरी कन्वन्ट, इलाहाबाद से संलग्न प्रशिक्षण विद्यालय में होता है। नैनीताल का जिला विद्यालय निरीक्षक इन विद्यालयों का भी निरीक्षक होता है।

6.7—सैनिक एव शारीरिक शिक्षा—

(क) राष्ट्रीय कैडेट कोर—1971–72 में राष्ट्रीय कैडेट कोर की इकाइयों का पुनर्गठन जुलाई के महीने से कार्यान्वित हुआ जिसमें 15 ग्रुप मुख्यालय तथा 154 यूनिटें है।

(ख) इस वर्ष शासन ने 1,62,465, सीनियर तथा 37,800 जूनियर डिवीजन कैडेटों के प्रशिक्षणार्थ 1,09,58,000 रु० आयोजनेतर बजट शीर्षक तथा 25,000 रु० आयोजनागत बजट शीर्षक के अन्तर्गत स्वीकृत किया है। अभी तक हमारे 25,132 कैडट प्रशिक्षण शिविरों में भाग ले चुके हैं तथा 8,500 कैडेटों के कैम्पों में भाग लेने का अनुमान है। हमारे कैडेटों ने सीनियर डिवीजन की वर्तमान ट्राफी व अन्तर निदेशालय चांदमारी प्रतियोगिता जीती। 4 कैडेटों को उनके क्रिया कलापों के लिये मेडेल प्रदान किये गये। 1631 कैडेटों ने केन्द्र, व्यवस्थापित कैंपों में भाग लिया। 727 कैडेटों को रेगुलर आर्मी की यूनिटों के साथ संबद्ध किया गया है।

(ग) एन० सी० सी० योजना—इस प्रदेश में 1970–71 से विश्वविद्यालयों आदि में लागू की गई है। 1971–72 के अन्तर्गत इस योजना में 12,000 विद्यार्थियों के भाग लेने की आशा है। 1971–72 के लिये इस योजना पर 14,40,000 रु० का प्राविधान राज्य बजट में है, जिसमें 8,40,000 रु० केन्द्र का भाग है तथा 6,00,000 रु० शासन का।

(घ) प्रदेशीय शिक्षा दल—प्रदेशीय शिक्षा दल उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग का एक संगठन है जिसके द्वारा जिला केन्द्रों पर तथा कहीं-कहीं तहसील हेड क्वार्टरों पर ग्यारहवीं तथा बारहवीं कक्षा के छात्रों को सैनिक शिक्षा और समाज सेवा का प्रशिक्षण दिया जाता है। शारीरिक शिक्षा भी इस योजना का एक अंग है।

प्रदेशीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत रानी लक्ष्मी बाई रेजीमेन्ट भी है। जो रानी लक्ष्मी बाई की यादगार को गौरवशाली बनाने के लिये है। यह योजना अभी केवल कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ तथा झांसी में चल रही है। इसके अन्तर्गत लगभग 1,800 बालिकायें प्रतिवर्ष सैनिक शिक्षा का लाभ उठाती है। प्रदेशीय शिक्षा दल के माध्यम से जल स्थल और वायु सेनाओं में अधिकारियों की कमी को पूरा करने के लिये और देश सेवा में छात्रों को रुचि पैदा करने के लिये प्रदेश के 12 चुने केन्द्रों पर छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे वे एन० डी० ए० की परीक्षा में अधिक भाग ले सकें। इसके अलावा कुछ चुने हुए जिलों में छात्रों को ट्रैफिक कंट्रोल का भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस समय प्रदेशीय शिक्षा दल के अन्तर्गत 84,000 छात्र एवं 1,800 छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। 1971–72 में प्रदेशीय शिक्षा दल के बजट में कुल 26,86,900 रु० का प्राविधान किया गया।

(ङ) शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद—इस योजना के अन्तर्गत अन्य वर्षों की भांति जिला तथा मण्डलीय स्तर पर खेलकूद तथा क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

(ङ) राष्ट्रीय शारीरिक दक्षता अभियान--के लिये गत वर्षों के समान इस वर्ष भी कार्यक्रम चलाये गये।

6.8--आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद--

इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी पढ़ाने वाले अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह प्रशिक्षण विशेष रूप से अंग्रेजी पढ़ाने की रचनात्मक विधि के अनुसार होता है। प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल के लिये उपयुक्त पुस्तकों का लिखना तथा अन्य प्रकार के अंग्रेजी पढ़ाने के आधुनिक साधन तैयार करना भी इस संस्थान का एक प्रमुख कार्य है।

6.9--राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद--

इस संस्थान में विज्ञान की शिक्षा के उन्नयन हेतु पुनर्शिक्षण का आयोजन किया जाता है।

माध्यमिक स्तर विज्ञान शिक्षा के आधुनीकरण एवं उन्नयनार्थ पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों, पाठ्यपुस्तकों एवं परीक्षण विधियों में सुधार तथा सेवारत विज्ञान शिक्षकों के लिये अल्पकालीन प्रशिक्षण कोर्स आयोजित किया जाता है।

प्रारम्भिक स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य यूनिसेफ विज्ञान शिक्षा के अन्तर्गत हो रहा है। यह योजना भारत सरकार, यूनिसेफ/यूनेस्को, एन० सी० ई० आर० टी० एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिपादित हो रही है।

6.10--राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ--

इस महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर रचनात्मक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

6.11--माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण का सर्वेक्षण--

सुल्तानपुर जिले में शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिये एक अग्रगामी प्रयोजना चलाये जाने का निर्णय लिया गया है जिसके अन्तर्गत सर्वेक्षण एवं अध्ययन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

अध्याय 7

विभाग की अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां

7.1—बंगला देश के विस्थापितों की सहायता के लिये तथा पाकिस्तान द्वारा भारत पर युद्धकी घोषणा के पश्चात् देशभर में भावात्मक एकता को अक्षुण रखने के लिये उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग का योगदान प्रशंसनीय रहा। विश्वविद्यालय के छात्रों ने जवानों के लिये रक्तदान किया तथा सैनिकों की सेवा के लिये प्रमुख स्थानों पर कैन्टीन चलायी गई। उत्तर प्रदेश के स्कलों के छात्रों एवं अध्यापकों ने 16,30,000 रु० सुरक्षा कोष में दिया और बंगला देश के विस्थापितों के लिये 60,000 रु० संग्रह किया। छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा किये गये इस कार्य की सराहना उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा की गयी।

7.2—1971–72 सत्र हेतु कक्षा 1 से 8 तक की लगभग 2 करोड़ राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की गई। पाठ्य पुस्तकों से इस वर्ष राजस्व के रूप में रु० 12,86,275–35 पैसे की आय हुई।

7.3—इस वर्ष एक पूर्व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खीरी में खोला गया। यह केन्द्र राजकीय कन्या इन्टर कालेज, खीरी से संलग्न है।

7.4—शासन ने बालिकाओं के दो मण्डलों की स्थापना फैजाबाद तथा झांसी में की है।

7.5—अभी तक उर्दू माध्यम विद्यालयों का निरीक्षण उ० वि० नि० (उ० मा०) द्वारा किया जाता था। उर्दू शिक्षा की समुचित देखरेख एवं उर्दू शिक्षा संबंधी योजनाओं को प्रभावशाली ढंग से कार्यान्वित करने हेतु शिक्षा निदेशालय में उप शिक्षा निदेशक (उर्दू माध्यम) की नियुक्ति की गई। इसके साथ उर्दू एकेडेमी भी स्थापित की गयी है जिसका कार्यालय लखनऊ में है। उर्दू की शिक्षा व्यवस्था की देखरेख, साहित्य का निर्माण, पुस्तकालयों को अनुदान, लेखकों को सहायता देने का कार्य यह संस्था करेगी।

7.6—भारत स्काउट और गाइड उत्तर प्रदेश—यह उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण संस्था है। इस संस्था के विस्तार हेतु प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाता है। इस वर्ष रु० 1,20,000 देने का प्राविधान है।

7.7—हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद को अनुदान—इस संस्था के कार्य कलापों में विस्तार हेतु रु० 15,000 का अनुदान देने का प्राविधान किया गया है।

7.8—सार्वजनिक संस्थाओं को अनुदान—प्रदेश के जनहितकारी 27 सार्वजनिक संस्थाओं को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वर्ष 1971–72 में उक्त संस्थाओं को आवर्तक तथा एक संस्था को अनावर्तक अनुदान देने के लिये क्रमशः 3,37,000 रु0 तथा 2,84,500 रु० का बजट प्राविधान है।

7.9—नगर क्षेत्र क चुने हुये सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान—इस वर्ष प्रदेश के 116 शहरी क्षेत्र के चुने हुये सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान देने के लिये आय व्ययक में 2,11,000 रुपये का प्राविधान है।

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान-प्रदेश के 27 सार्वजनिक पुस्तकालयों को आवर्तक अनुदान दिया जाता है तथा अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनावर्तक अनुदान भी स्वीकृत किया जाता है। उक्त संस्थाओं को इस वर्ष 1,49,900 रु० का अनुदान देने का प्राविधान है। पिछले वर्ष के उर्दू पुस्तकालयों को भी प्रोत्साहन देने की व्यवस्था की गयी है।

7.10—शिक्षक दिवस राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान—

राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे अध्यापकों और उनके आश्रितों को सहायता देने की व्यवस्था करना है जिनकी आर्थिक दशा दयनीय है। संघीय शिक्षा मन्त्री के सभापतित्व में इस प्रतिष्ठान के प्रबन्ध और प्रशासन के लिये साधारण समिति गठित की गयी है। प्रदेशीय स्तर पर इस कार्य के लिये कार्यकारिणी समितियां नियुक्त की गयी है। उत्तर प्रदेश में प्रदेशीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री जी तथा सचिव–कोषाध्यक्ष, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश हैं।

इस योजना के अन्तर्गत अब तक 911 अभ्यर्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है।

7.11—दक्षीण भारतीय भाषा—

भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दक्षिणी भारतीय भाषाओं के शिक्षण की योजनान्तर्गत इस वर्ष आयोजनेतर बजट में 2,55,000 रु0 व्यय करने का प्राविधान है।

मोतीलाल मेमोरियल सोसाइटी, लखनऊ में दक्षिणी भारतीय भाषाओं (तामिल तथा तेलगू) का उच्च अध्ययन चल रहा है। भारत सरकार तथा प्रदेशीय शासन द्वारा प्रदान की गयी आर्थिक सहायता से कन्नड़ तथा मलयालम भाषाओं की कक्षायें जनवरी, 1970 से प्रारम्भ की गयी है। परीक्षार्थियों का प्रथम बैंच रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें, इलाहाबाद द्वारा संचालित 1971 की परीक्षा में सम्मिलित हुआ।

दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को अनुदान दिये जाने की योजना के अन्तर्गत मलयालम शिक्षण केन्द्र दोहरी घाट आजमगढ़ को 10,600 रु0 का अनुदान स्वीकृत किया गया।

7.12—बालाहार योजना—

इस समय बालाहार योजना प्रदेश के 26 जिलों में चल रही है। इस योजना से 6,985 प्राइमरी विद्यालयों के लगभग 11.50 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं।

इस योजना के अन्तर्गत 4 करोड़ रुपये के मूल्य की खाद्य सामग्री "केयर" संस्था के माध्यम से विभाग को उपहार स्वरूप प्राप्त होती है। योजना के संचालन तथा प्रशासन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार के शिक्षा विभागीय बजट से वहन किया जाता है।

इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1970–71 में रु० 40.33 लाख (7.86 लाख आयोजनागत तथा 32.47 लाख आयोजनेतर) व्यय किया गया है। वर्ष 1971–72 के आय व्ययक में इस योजना के लिये आयोजनागत आय व्ययक रुपया में 28.86 तथा आयोजनेतर आय व्ययक में रु0 37.50 लाख का प्राविधान किया गया है।

सारणी 1

शिक्षा के लिए निर्दिष्ट बजट

वर्ष	बालकों की शिक्षा के लिए बजट	बालिकाओं की शिक्षा के लिए बजट	शिक्षा के लिए सम्पूर्ण बजट
1	2	3	4
	रु०	रु०	रु०
1945-46	2,21,89,600	35,56,400	2,57,46,000
1950-51	6,61,14,800	76,29,400	7,37,44,200
1955-56	9,30,63,300	89,53,200	10,20,16,500
1960-61 शिक्षा	12,17,33,300	1,18,23,200	13,35,56,200
1960-61 शिक्षा नियोजन	..	..	3,87,41,000
1965-66 शिक्षा	24,36,60,500	2,53,76,200	26,90,36,700
1965-66 शिक्षा नियोजन	14,42,21,200	2,13,46,000	16,55,67,200
1968-69 शिक्षा	46,30,92,200	5,35,93,100	51,66,85,300
1968-69 शिक्षा नियोजन	6,31,67,100	38,56,600	6,70,23,700
1970-71 शिक्षा	61,50,01,000	6,38,60,000	67,88,61,000
1970-71 शिक्षा नियोजन	6,40,23,500	63,95,700	7,04,19,200
1971-72 शिक्षा	71,87,66,800	6,85,83,800	78,73,50,600
1971-72 शिक्षा नियोजन	11,54,39,200	88,68,700	12,43,07,900

टिप्पणी—इसके अतिरिक्त बालकों की शिक्षा के लिए बजट में भी बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय-सम्मिलित है।

सारणी 2

शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों के लिए बजट

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69	1970–71	1971–72
शिक्षा—								
1—प्रारम्भिक	90,78,200	3,32,18,200	4,24,73,600	5,69,27,000	10,30,06,400	22,24,05,500	31,67,13,700	34,57,91,700
2—माध्यमिक	82,06,700	1,65,95,000	2,35,46,400	3,36,10,200	6,53,67,800	14,38,30,100	18,24,37,500	22,40,34,000
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	30,17,300	47,77,100	89,47,700	1,13,62,000	1,91,07,100	5,00,94,000	4,66,36,300	4,574,0,700
4—ट्रेनिंग	—	5,99,400	9,14,900	9,83,400	13,96,900	26,12,200	29,94,300	30,27,600
5—अन्य	54,43,800	1,85,54,500	2,61,33,900	3,06,73,600	8,01,58,500	9,77,43,500	13,00,79,200	16,87,56,600
योग	2,57,46,000	7,37,44,200	10,20,16,500	13,35,5 ,20	26,90,36,700	51,66,85,300	67,88,61,000	78,73,50,600
शिक्षा नियोजन—								
1—प्रारम्भिक	—	—	—	2,54,76,900	6,75,47,200	2,63,96,100	3,47,12,900	6,60,01,100
2—माध्यमिक ..	—	—	—	63,67,000	3,20,95,900	1,08,00,300	82,97,800	1,64,81,100
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	—	—	—	41,17,000	1,47,51,200	81,88,000	68,37,800	1,36,62,700
4—ट्रेनिंग ..	—	—	—	13,06,000	75,21,200	7,17,600	4,26,900	7,20,500
5—अन्य ..	—	—	—	14,74,100	4,36,51,700	2,09,21,700	2,01,43,800	2,74,42,500
योग ..	—	—	—	3,87,41,000	16,55,67,200	6,70,23,700	7,04,19,200	12,43,07,900

सारणी 3

व्यय के स्रोत

वर्ष तथा स्रोत	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66
	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
राजकीय निधि से	2,70,03,667	7,39,18,773	12,31,39,595	23,44,40,547	46,82,88,678
स्थानीय निकाय निधि से	71,06,972	1,85,36,569	2,10,74,826	2,76,41,516	4,24,19,854
विश्वविद्यालय निधि से	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,08,34,387
शुल्क से	1,60,37,418	3,99,80,104	7,24,00,440	9,12,94,133	14,30,38,133
प्राभृत एवं अन्य निधि से	1,00,07,180	3,08,42,455	3,70,68,823	4,36,27,313	5,70,28,689
योग ..	6,01,55,237	16,32,77,901	25,36,84,048	39,70,03,509	72,16,09,741

सारणी 4

सब प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें

		1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1969–70*
1	2	3	4	5	6	7	8
राजकीय ..	बालक ..	1392	2156	1195(द)	1645	2086	1162(म)
	बालिका ..	120	258	307	309	598	396(म)
स्थानीय निकाय ..	बालक ..	14153	27986	28857	34512	47964	50460
	बालिका ..	1280	2451	2737	4977	11023	12368
विश्वविद्यालय ..	बालक ..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	11(न)	13(न)
	बालिका ..	"	"	"	"	"	"
सहायता प्राप्त ..	बालक ..	5250	3580	3380	4024	5078	6599
	बालिका ..	706	529	520	612	808	1203
सहायता रहित ..	बालक ..	482	1858	1945	2202	3050	2929
	बालिका ..	23	46	69	164	254	160
योग ..	बालक ..	21277	35580	35377	42383	58189	61163
	बालिका ..	2029	3284	3633	6062	12683	14127

(द) राजकीय विद्यालयों की संख्या में कमी का कारण यह है कि विलीन बनारस स्टेट के कुछ विद्यालय (जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूल) स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित हो गए हैं।

(म) राजकीय विद्यालयों की संख्या में कमी का कारण यह है कि पर्वतीय मण्डल में स्थित विलीन स्टेट के जूनियर तथा सीनियर बेसिक स्कूल स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित हो गये हैं।

(न) इनमें दो विश्वविद्यालय मानी गई संस्थायें सम्मिलित हैं।

*आंकड़े प्राविजनल हैं।

सारणी 5

विभिन्न प्रकार की मान्यता, प्राप्त शिक्षा संस्थायें, (प्रथम तीन स्तर)

		1945–46	1950–51	1655–56	1960–61	1965–66	1969–70*	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (लड़के)	सब ..	356	833	1253	1489	2050	2602	2699
	ग्रामीण क्षेत्रों में	43	304	590	743	1185	1290	1363
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (लड़कियां)	सब ..	86	154	221	282	451	547	563
	ग्रामीण क्षेत्रों में	—	1	2	6	27	62	85
योग ..	सब ..	442	987	1474	1771	2501	3149	3262
	ग्रामीण क्षेत्रों में	43	305	592	749	1212	1352	1448
सीनियर बेसिक स्कूल (लड़के)	सब ..	1202	2386	3128	3674	4945	6415	6636
	ग्रामीण क्षेत्रों में ..	734	1854	2661	3025	4242	5310	5578
सीनियर बेसिक स्कूल (लड़कियां)	सब ..	474	468	512	661	1209	1674	1860
	ग्रामीण क्षेत्रों में	64	130	195	247	708	1017	1188
योग ..	सब ..	1676	2854	3640	4335	6154	8089	8496
	ग्रामीण क्षेत्रों में	798	1984	2856	3272	4950	6327	6766

सारणी 5 —(समाप्त)

		1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1969–70*	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
जूनियर बेसिक स्कूल (लड़के)	सब	17545	29459	29202	35156	49443	50358	50419
	ग्रामीण क्षेत्रों में	15167	22106	26503	31656	45360	46226	50359
जूनियर बेसिक स्कूल (लड़कियां)	सब	1472	2520	2696	4927	10800	11391	11534
	ग्रामीण क्षेत्रों में	904	1604	1897	3646	8895	9239	9376
योग	सब ..	19017	31979	31898	40083	60243	61749	61953
	ग्रामीण क्षेत्रों में	16071	23710	28400	35302	54255	55465	59735

*आंकड़े प्रावीजनल हैं।

सारणी 6

विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं (अंतिम दो स्तर)

		1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1969–70*	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विश्वविद्यालय	लड़के ..	5	6	6	9	9	11	11
	लड़कियां ..	—	—	—	—	—	—	—
	योग ..	5	6	6	9	9	11	11
डिग्री कालेज ..	लड़के ..	10	34	57	108	147	184	193
	लड़कियां ..	2	6	8	20	36	52	53
	योग ..	12	40	65	128	183	236	246

*आंकड़े प्राविजनल हैं।

सारणी 7

छात्रों की संख्या (प्रथम तीन स्तर)

		1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1969–70	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उच्चतर माध्यमिक स्कूल ..	लड़के ..	1,56,133(द)	3,56,530	5,56,530	7,57,592	12,71,038	16,38,755	17,73,528
	लड़कियां	23,315(द)	57,825	87,599	1,54,485	2,87,862	4,07,477	4,62,969
	योग .	1,79,448(द)	4,17,405	6,44,129	9,12,077	15,58,900	20,46,232	22,36,497
सीनियर बेसिक स्कूल ..	लड़के	1,50,583	2,78,339	3,55,266	4,46,139	7,88,905	9,52,182	10,36,544
	लड़कियां	81,498	69,798	71,759	1,03,688	1,94,945	3,09,998	3,73,140
	योग ..	2,32,081	3,48,137	4,27,025	5,49,827	9,83,850	12,62,180	14,09,684
जूनियर बेसिक स्कूल ..	लड़के ..	11,95,636	23,92,175	22,53,221	31,70,868	57,64,857	63,53,816	64,65,724
	लड़कियां	1,75,05	3,34,948	4,84,596	7,87,960	30,23,248	35,69,523	36,58,039
	योग ..	13,70,694	27,27,123	27,37,827	39,58,828	87,88,105	99,23,339	1,01,23,763

(द) इण्टर कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हैं।

*आंकड़े प्राविजनल हैं।

सारणी 8

छात्रों की संख्या (अंतिम दो स्तर)

		1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1969–70	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विश्वविद्यालय ..	लड़के ..	9,730 (अ)	19,105	24,616	29,785	37,628	39,506	45,632
	लड़कियां ..	605 (अ)	1,671	2,802	4,033	8,208	8,412	11,158
	योग ..	10,335 (अ)	20,776	27,418	33,818	45,836	47,918	56,790
डिग्री कालेज ..	लड़के ..	16,843 (द)	27,294	45,725	58,959	74,295	79,268	92,259
	लड़कियां	1,585 (द)	2,504	4,874	8,743	20,263	25,599	28,116
	योग ..	18,428 (द)	29,798	50,599	67,702	94,558	1,04,867	1,20,375

(अ) यह केवल विज्ञान और कला के विद्यार्थियों की संख्या है ।

(द) इन संख्याओं में समस्त इन्टर कक्षा के विद्यार्थी सम्मिलित हैं ।

*आंकड़े प्राविजनल हैं ।

सारिणी 9

अध्यापकों की संख्या

		1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1969–70*	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
विश्वविद्यालय में ..	पुरुष ..	839	1,201	1,331	2,089	2,797	2,859	3,579
	महिला ..	56	71	114	159	234	267	313
	योग ..	895	1,272	1,445	2,258	3,031	3,126	3,892
डिग्री कालेजों में ..	पुरुष ..	411	1,175	2,155	3,113	4,640	5,339	5,927
	महिला	37	74	172	331	793	1,101	1,124
	योग ..	448	1,249	2,327	3,444	5,433	6,450	7,051
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में	पुरुष ..	7,398	15,453	24,541	30,222	45,717	59,868	66,351
	महिला ..	1,417	2,774	4,130	5,854	10,697	14,061	15,913
	योग ..	8,815	18,227	28,671	36,076	56,414	73,929	82,264

सीनियर बेसिक स्कूलों में	पुरुष ..	6,435	11,605	16,734	19,057	28,865	39,274	43,086
	महिला ..	3,426	2,900	3,262	4,202	7,002	9,843	10,667
	योग ..	9,861	14,505	19,996	23,259	35,867	49,117	53,753
जूनियर बेसिक स्कूलों में	पुरुष ..	38,376	65,110	70,641	87,340	1,44,659	1,68,068	1,76,282
	महिला ..	1,610	5,189	6,934	11,714	23,918	32,169	33,213
	योग ..	40,986	70,299	77,575	99,054	1,68,577	2,00,237	2,09,495

*आंकड़े प्राविजनल हैं ।

सारणी 10

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिए मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1969–70	1970–71	1971–72
1	2	3	4	5	6	7	8	9
हाई स्कूल परीक्षा:—								
लड़कों की शिक्षा संस्थायें ..	315	749	1,175	1,404	1,837	2,467	2,656	2,836
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें ..	56	130	197	257	354	509	541	560
योग ..	371	879	1,372	1,661	2,191	2,976	3,197	3,396
इंटरमीडियेट परीक्षा:—								
लड़कों की शिक्षा संस्थायें ..	113	334	652	786	1,002	1,330	1,468	1,567
लड़कियों की शिक्षा संस्थायें ..	15	41	111	148	214	280	302	314
योग ..	128	375	763	934	1,216	1,610	1,770	1,881

सारणी 11 (अ)

हाई स्कूल परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या

		1946	1951	1956	1961	1966	1969	1970	1971
1		2	3	4	5	6	7	8	9
हाई स्कूल परीक्षा में पंजीकृत संख्या	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,67,549	2,15,252	3,14,578	4,05,856	4,52,137	4,83,161
	लड़कियां	,,	,,	16,488	22,620	41,826	68,170	75,392	81,477
	योग ..	27,272	1,10,681	1,84,037	2,37,872	3,56,404	4,74,026	5,27,529	5,64,638
परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या									
	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,55,285	2,04,315	2,95,036	3,85,294	4,30,684	4,47,949
	लड़कियां	,,	,,	14,301	21,526	38,605	65,079	71,873	74,824
	योग .	25,153	98,534	1,69,586	2,25,841	3,33,641	4,50,373	5,02,557	5,22,773
उत्तीर्ण होने वालों की संख्या—									
	लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	68,589	89,880	1,30,277	1,69,410	1,77,901	1,69,383
	लड़कियां	,,	,,	8,528	13,860	25,187	43,892	48,385	49,262
	योग ..	15,820	58,234	77,117	1,03,740	1,55,464	2,13,302	2,26,286	2,18,645

सारणी—11 (बी)

इंटरमीडिएट परीक्षा के परिक्षार्थियों की संख्या

	1946	1951	1956	1961	1966	1969	1970	1971
1	2	3	4	5	6	7	8	9
इंटरमीडिएट परीक्षा में पंजीकृत संख्या								
लड़के ..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	78,457	99,600	1,48,785	2,27,474	2,31,564	2,49,683
लड़कियों ..	"	"	9,344	13,745	27,912	42,392	45,022	51,221
योग ..	12,230	41,009	87,801	1,13,345	1,76,697	2,69,866	2,76,586	3,00,904
परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या :								
लड़के ..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	69,858	89,542	1,29,269	2,06,854	2,07,780	2,23,786
लड़कियां ..	"	"	8,219	12,282	24,151	38,812	40,586	46,421
योग ..	10,458	34,464	78,077	1,01,824	1,53,420	2,45,666	2,48,366	2,70,207
उत्तीर्ण होने वालों की संख्या								
लड़के ..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	36,376	35,645	54,381	1,01,781	92,809	1,04,665
लड़कियों ..	"	"	5,058	6,557	13,299	25,969	23,850	29,281
योग ..	6,804	20,523	41,434	42,202	67,680	1,27,750	1,16,659	1,33,946

सारणी—12

संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता

	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1968-69*	1969-70*	1970-71*
1	2	3	4	5	6	7	8
स्वीकृत पाठशालायें ..	1,400	1,014	1,050	800	900	900	900
छात्र संख्या	34,093	39,901	42,092	43,600	48,805	48,600	51,245
सहायता प्राप्त पाठशालायें ..	332	418	637	779	779	803	810
राज्य से प्राप्त सहायता (रु० में) ..	2,53,512	4,64,448	9,62,953	22,14,020	28,20,273	39,30,544	35,73,313(ए)

*आंकड़े प्राविजनल है।

(ए) कमी का कारण आवर्तक अनुदान में कमी हुई है।

सारणी—13

अरबी मदरसों की संख्या और राजकीय सहायता

	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69*	1969–70*	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8
स्वीकृत मदरसे ..	86	89	104	124	125	146	146
छात्र संख्या	..	14,190	16,710	26,215	26,672	29,382	29,578
सहायता प्राप्त मदरसे ..	86	89	104	124	125	123	123
राज्य से प्राप्त सहायता (रु० में) ..	90,672	1,02,394	1,24,164	2,56,454	2,44,840	2,94,603	3,31,515

*आंकड़े प्राविजनल हैं ।

सारणी—14 ।

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (संख्या)

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69*	1969–70*	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ट्रेनिंग (एल०टी०स्तर)								
(1 वर्ष पुरुष)	3	4	6	7	6	7	8	8
महिला ..	1	5	2	3	4	4	2	2
योग ..	4	9(ग)	8	10	10	11	10	10
विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण विभाग बी० एड० तथा एम०एड० पुरुष तथा महिला सम्मिलित ..	..	..	3	5	5	5	5	5
डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें एल०टी० स्तर								
पुरुष ..	..	8	10	28	36	41	41	44
महिला ..	..	1	2	2	6	6	6	7
योग	..	9	12	30	42	47	47	51

सारणी—14 (समाप्त)

1		2	3	4	5	6	7	8	9
जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज तथा अन्य सी० टी० स्तर की प्रशिक्षण संस्थायें									
पुरुष	..	3	..	5	5	5	7	6	6
महिला	..	7	..	7	6	8	11	11	11
योग	..	10	..	12	11	13	18	17	17
जे० टी० सी० कालेज (2 वर्ष)									
पुरुष	..	..	109	33	33	42	*	*	*
महिला	..	..	24	1	4	11	*	*	*
योग	..	..	133(ख)	34	37	53	*	*	*
नार्मल स्कूल (2 वर्ष)	..								
पुरुष	..	44(घ)	..	45	95	121	*	*	*
महिला	..	26(ग)	..	16	22	42	*	*	*
योग	..	70	×	61	117	163	*	*	*

बी०टी०सी० (1वर्ष) पुरुष ..	..	..	..	..	..	230	181	199
महिला ..	.	..	..	..	..	89	69	71
योग ..	..	..	..	..	..	319	260	270

(घ) इस संख्या में 11 सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल और 21 ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित है जिनमें 1 वर्ष का कोर्स था ।

(य) इस संख्या में 9 ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित हैं जिनमें 1 वर्ष का कोर्स था ।

(च) इनमें नार्मल स्कूल भी सम्मिलित हैं ।

(ग) इनमें पी०टी० ट्रेनिंग कालेज सम्मिलित हैं ।

(*) ये संस्थायें अब बी० टी० सी० में परिवर्तित हो गयी हैं ।

(×) आंकड़े प्राविजनल हैं ।

सारणी–15

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (छात्र संख्या)

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69*	1969–70*	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	7	9
ट्रेनिंग कालेज (एल० टी० स्तर)								
पुरुष ..	202	226	415	500	540	594	1,018	1,046
महिला ..	57	337	311	520	621	763	457	540
योग ..	259	563(ख)	726	1,020	1,161	1,357	1,475	1,586
विश्वविद्यालय के प्रशिक्षण विभाग (बी० एड० तथा एम० एड०) ..								
पुरुष ..	..	312	257	356	272	442	442	486
महिला ..	..	107	127	144	354	279	399	429
योग ..	..	419	384	500	626	721	841	915
डिग्री कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें (एल० टी० स्तर)								
पुरुष ..	..	520	956	2,413	2,797	2,837	2,837	2,877
महिला ..	..	66	289	509	1,110	1,310	1,502	1,694
योग ..	..	586	1245	2,922	3,907	4,147	4,339	4,571

जे० बी० टी० सी० कालेज आदि (दो वर्ष सी० टी० स्तर)								
पुरुष ..	210	..	315	597	361	299	356	460
महिला ..	148	..	252	254	344	537	584	616
योग ..	358	..	567	851	705	836	940	1,076
जे० टी० सी० कालेज (दो वर्ष)								
पुरुष ..	..	15,166	1,361	2,350	2,223	..	..	..
महिला ..	..	639	106	341	787	..	..	..
योग ..	..	15,805(ज)	1,467	2,691	4,010(क)	..	..	..
नार्मल स्कूल (दो वर्ष) ..								
पुरुष ..	1,410	..	3,773	9,569	16,205	..	..	..
महिला ..	639	..	567	1,311	4,210	..	..	..
योग ..	2,049(य)	..	4,340	10,880	20,415(ख)	..	..	..
बी०टी०सी० (एक वर्ष) ..								
पुरुष ..	..	..	..	..	..	17,946	14,292	23,896
महिला ..	..	..	..	..	..	6,589	4,422	5,741
योग ..	..	..	..	..	..	24,535	18,714	29,637

(ज) इनमें नार्मल स्कूल के छात्र भी सम्मिलित हैं ।

(ल) इनमें सी०टी० के छात्र भी सम्मिलित हैं ।

(य) इस संख्या में 552 लड़के तथा 171 लड़कियां बी०टी०सी० कोर्स भी सम्मिलित हैं ।

*आंकड़े प्रावीजनल हैं ।

(क) इस संख्या में जे०टी०सी० यूनिट्स के छात्रों की संख्या भी सम्मिलित है ।

(ख) इस संख्या में एच० टी० सी० यूनिट्स के छात्रों की संख्या भी सम्मिलित है ।

सारणी–16

प्रशिक्षण संस्थायें एवं सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें उत्तीर्ण होने वाले छात्राध्यापकों तथा छात्राध्यापिकाओं की संख्या

	1945–46	1950–51	1955–56	1960–61	1965–66	1968–69*	1969–70*	1970–71*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एल०टी०,बी०टी० तथा बी० एड० (1 वर्ष) पुरुष	249	880	1,386	3,032	3,222	921(क)	829(क)	848(क)
महिला	75	208	511	977	1,735	295(क)	392(क)	448(क)
योग ..	324	1,088	1,897	4,009	4,957	1,216(क)	1,221(क)	1,296
एम०एड० (1 वर्ष) पुरुष	3	58	36	74	92	(–)	(–)	(–)
महिला	1	25	42	42	66	(–)	(–)	(–)
योग ..	4	83	78	116	158	(–)	(–)	(–)
जे० बी० टी०सी० (2 वर्ष) (सी० टी० स्तर) पुरुष	99	32	167	110	94	278	139	224
महिला	69	155	253	116	217	331	252	348
योग ..	168	187	420	226	311	609	391	572

जे०टी०सी० (2 वर्ष) ..								
पुरुष ..	..	994	949	999	1,592	54	12	5
महिला ..	..	3	68	147	294	21	7	5
योग ..	..	997	1,017	1,146	1,886	75	19	10
एच०टी०सी० (दो वर्ष) तथा बी०टी०सी० (एक वर्ष) ..								
पुरुष ..	1,102	10,576	1,751	4,173	6,129	16,717	17,696	18,171
महिला ..	349	636	294	547	1,553	3,570	4,464	3,744
योग ..	1,451(य)	11,212(र)	2,045	4,720	7,682	20,287	22,160	21,915

(क) केवल एल० टी० परीक्षाफल है।

(–) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*आंकड़े प्राविजनल है।

(य) इस संख्या में 606 लड़के और लड़कियां भी बी० टी० सी० परीक्षा उत्तीर्ण सम्मिलित हैं।

(र) सचल विद्यालय के छात्राध्यापक भी सम्मिलित है। यह योजना बाद में बन्द हो गयी।

सारणी—17

31 मार्च 1971 को जिलेवार विद्यालयों की संख्या (प्रथम तीन स्तर)

जिलों के नाम	हाई हायर सेकेंड्री			सीनियर बेसिक			जूनियर बेसिक		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1—देहरादून	26	14	40	56	24	80	444	111	555
2—सहारनपुर	74	22	96	117	60	177	1,060	329	1,389
3—मुजफ्फरनगर	70	18	88	75	49	124	770	303	1,073
4—बुलन्दशहर	116	17	133	92	17	109	993	285	1,278
5—मेरठ	171	45	216	190	80	270	1,551	504	2,055
6—अलीगढ़	86	16	102	198	25	223	1,105	295	1 400
7—मथुरा	70	11	81	105	21	126	819	234	1,053
8—आगरा	67	29	96	245	83	328	1042	244	1,286
9—मैनपुरी	37	5	42	150	19	169	941	155	1,096
10—एटा	50	8	58	124	15	139	786	196	982

11—बरेली	56	20	76	137	46	183	936	275	1.211
12—बिजनौर	46	9	55	90	19	109	798	214	1.012
13—बदायूं	28	10	38	93	45	138	850	252	1.102
14—शाहजहांपुर	25	10	35	89	37	126	950	204	1.154
15—मुरादाबाद	60	21	81	129	70	199	1,395	293	1.688
16—रामपुर	12	6	18	37	7	44	477	117	594
17—पीलीभीत	12	3	15	55	16	71	481	131	612
18—फर्रुखाबाद	51	13	64	179	30	209	801	196	997
19—इटावा	55	6	61	160	49	209	801	168	969
20—कानपुर	74	34	108	186	104	290	1425	426	1,851
21—फतेहपुर	34	4	38	101	33	134	630	175	805
22—इलाहाबाद	112	28	140	161	55	216	1419	361	1.780
23—बांदा	27	4	31	142	20	162	880	207	1,087
24—हमीरपुर	18	3	21	93	15	108	770	211	981
25—झांसी	41	12	53	154	32	186	1054	186	1 240

सारणी 17 (समाप्त)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26—जालौन	38	7	45	99	27	126	681	146	827
27—वाराणसी	101	30	131	219	99	318	1312	289	1,601
28—मिर्जापुर	39	5	44	113	19	132	1011	179	1,190
29—जौनपुर	83	5	88	187	48	235	1000	204	1,204
30—गाजीपुर	57	4	61	121	27	148	728	193	921
31—बलिया	72	4	76	151	25	176	965	224	1,189
32—लखनऊ	55	36	91	75	27	102	809	318	1,127
33—उन्नाव	32	3	35	138	37	175	950	142	1,092
34—रायबरेली	23	1	24	89	30	119	702	152	854
35—सीतापुर	22	5	27	168	15	183	944	215	1,159
36—हरदोई	18	4	22	125	46	171	1051	199	1,250
37—खीरी	22	5	27	65	14	79	973	157	1,130
38—प्रतापगढ़	39	1	40	96	16	112	721	159	880

39—सुल्तानपुर	32	2	34	148	49	197	1146	257	1403
40—बाराबंकी	19	1	20	108	42	150	1046	279	1325
41—गोरखपुर	88	16	104	178	78	256	1443	206	1749
42—देवरिया	98	7	105	215	34	249	1438	240	1678
43—बस्ती	64	4	68	217	70	287	1567	261	1828
44—आजमगढ़	83	6	89	184	32	216	1238	255	1493
45—गोंडा	37	6	43	88	15	103	1445	270	1715
46—बहराइच	22	4	26	79	39	118	911	241	1152
47—फैजाबाद	45	8	53	112	15	127	1063	241	1304
48—नैनीताल	30	12	42	90	21	111	693	66	759
49—अल्मोड़ा	50	5	55	115	9	124	934	100	1034
50—पौड़ी गढ़वाल	50	4	54	86	18	104	796	130	926
51—टेहरी गढ़वाल	10	2	12	82	24	106	513	118	631
52—पिथौरागढ़	23	5	28	62	5	67	411	67	478
53—चमोली	21	2	23	47	6	53	490	38	528
54—उत्तरकाशी	8	1	9	21	2	23	270	116	286
योग ..	2699	563	3262	6636	1860	8496	50419	11534	61953

आंकड़े प्राविजनल हैं।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

भाग—2

(प्राविधिक शिक्षा)

1971-72

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश,
कानपुर ।

प्राविधिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा का विकास भारत सरकार की संस्तुतियों के अनुसार हो रहा है। प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीनस्थ प्राविधिक संस्थान डिग्री अथवा डिप्लोमा स्तर के विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इन्जीनियरिंग विश्वविद्यालय, रुड़की, 6 इन्जीनियरिंग डिग्री कालेज, 13 राजकीय पालीटेकनिक, 15 सहायता प्राप्त पालीटेकनिक एवं 6 अन्य विशिष्ट प्राविधिक प्रशिक्षण देने वाले संस्थान हैं। (तालिका 1)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के उपरांत प्रदेश में वार्षिक योजनायें बनीं। इन योजनाओं द्वारा उद्योगों व निर्माण-कार्यों का विकास उस गति से नहीं हुआ जैसा कि अनुमानित था तथा इस कारण डिग्री तथा डिप्लोमा प्राप्त छात्रों में कुछ बेरोजगारी आ गई। इसको दृष्टिकोण में रखते हुये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में डिग्री अथवा डिप्लोमा स्तर के परम्परागत पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में कोई वृद्धि नहीं की गई। विशाखित (डाइवर्सीफाइड) पाठ्यक्रमों को 1969–70 से ही चलाये जाने पर जोर दिया जा रहा है।

वर्ष 1970–71 में निम्नलिखित डाइवर्सीफाइड पाठ्यक्रम चालू किये गये :—

(1) आटोमोवाइल इन्जीनियरिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, पी०एम०वी० पालीटेकनिक मथुरा। प्रवेश क्षमता—10।

(2) डिजाइन एवं ड्राफ्टिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, इलाहाबाद पालीटेकनिक, इलाहाबाद। प्रवेश क्षमता—10।

(3) तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम इलक्ट्रानिक्स में–इलाहाबाद पालीटेकनिक, इलाहाबाद। प्रवेश क्षमता—10।

(4) इन्स्ट्रूमेन्ट टेक्नालाजी में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम, राजकीय पालीटेकनिक, कानपुर। प्रवेश क्षमता—10।

(5) सैंडविच पद्धति पर 4 वर्षीय केमिकल आपरेटर्स कोर्स–राजकीय पालीटेकनिक, गोरखपुर। प्रवेश क्षमता—10।

वित्तीय वर्ष 1970–71 के निमित्त निर्धारित 170.00 लाख रुपये के आयोजनागत परिव्यय के विपरीत 155.42 लाख रुपये का बजट में प्राविधान था। वर्ष के अन्त तक 131.286 लाख रुपये का व्यय हुआ। इस प्रकार निर्धारित परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय 77.2 प्रतिशत हुआ। (तालिका–2)

वित्तीय वर्ष 1970–71 में ऋण योजना के अन्तर्गत 25.00 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था जिसके विपरीत 14.500 लाख रु० व्यय हुआ। प्राविधिक शिक्षा ऋण हेतु 642 प्रार्थनापत्र प्राप्त हुये थे जिसमें 546 प्रार्थनापत्र उत्तर प्रदेश की संस्थाओं से, 49 अन्य प्रदेशों की संस्थाओं से एवं 47 विदेशों में प्राविधिक शिक्षा हेतु थे। इनमें क्रमशः 347 तथा 47 एवं 46 प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये गये। (तालिका–3)

प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने हेतु 16 शिक्षक टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, चन्डीगढ़ में प्रशिक्षण हेतु प्रेषित किये गये। इसके अतिरिक्त समर स्कूल का भी संगठन किया गया।

निदेशालय द्वारा इंटर पालीटेकनिक खेल-कूद का भी आयोजन किया गया था।

वर्ष 1970–71 में डिग्री स्तर पर 980 छात्रों की भर्ती करने का लक्ष्य था जिसके विपरीत 1036 छात्रों ने प्रवेश पाया। डिप्लोमा स्तर पर 5530 छात्रों की प्रवेश क्षमता के विरुद्ध 4517 छात्रों ने प्रवेश पाया।

डिप्लोमा स्तर पर वास्तविक प्रवेश लक्ष्य का 81.6 प्रतिशत रहा है। डिग्री स्तर पर 1089 छात्रों ने, डिप्लोमा स्तर पर 3269 छात्र उत्तीर्ण हुये।

वर्ष-1971–72 की प्रगति

डिग्रीस्तर

वर्ष 1971–72 में डिग्री स्तर पर विस्तार नहीं किया गया। डिग्री स्तर पर प्रवेश क्षमता 980 रही जिसमें कि एग्रीकल्चर इन्जीनियरिंग की 50 सीटें सम्मिलित हैं। कोई नया पाठ्यक्रम चालू नहीं किया गया है। चालू वर्ष में बजट के अन्तर्गत जो योजनायें पहले से चल रही हैं उनको पूरा करने हेतु फैकल्टी विकास, स्टाफ क्वार्टर्स पर ध्यान दिया है।

डिप्लोमा स्तर पर की योजनायें जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी तथा पूरी नहीं हो सकी हैं, उनके लिये बहुधंधी संस्थानों की एकीकरण योजना के अन्तर्गत साज-सज्जा तथा भवन निर्माण हेतु प्राविधान किया गया है। परम्परागत पाठ्यक्रमों, (सिविल, मेकेनिकल, इलेक्ट्रिकल) इन्जीनियरिंग को उद्योगों के लिये उपयोगी बनाने हेतु उसमें प्रयोगात्मक मात्रा बढ़ायी गयी तथा इलेक्टिव विषयों का समावेश किया गया। पुनरीक्षित पाठ्यक्रम वर्ष 1969–70 से चालू हुये हैं। 1971–72 में निम्नलिखित डाइवर्सीफाइड पाठ्यक्रम चालू किये गये हैं :—

(1) राजकीय पोलीटेकनिक, कानपुर में तीन वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता—30।

(2) के० एल० पालीटेकनिक, रुड़की में तीन वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता—30।

(3) लखनऊ पालीटेकनिक, लखनऊ में तीन वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता—30।

(4) राजकीय पालीटेकनिक, लखनऊ में 3 वर्षीय डिप्लोमा आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता—30।

(5) राजकीय पालीटेकनिक, गोरखपुर में 3 वर्षीय डिप्लोमा आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता—30।

(6) राजकीय पालीटेकनिक, बरेली में 3 वर्षीय डिप्लोमा आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता—30।

(7) राजकीय पालीटेकनिक, झांसी में 3 वर्षीय डिप्लोमा आटोमोबाइल इन्जीनियरिंग पाठ्यक्रम, प्रवेश क्षमता—30।

(8) इलाहाबाद बहुधंधी संस्था, इलाहाबाद में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम एयर कन्डीशनिंग तथा रेफ्रीजरेशन, प्रवेश क्षमता—10।

(9) राजकीय बहुधंधी संस्था, मुरादाबाद में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम फाउन्ड्री टेक्नालाजी, प्रवेश क्षमता—10।

(10) एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम एयर कन्डीशनिंग तथा रेफ्रिजरेशन में राजकीय पालीटेकनिक, बरेली तथा डी० एन० पालीटेकनिक, मेरठ में भी प्रस्तावित है।

वित्तीय वर्ष 1971–72 के निमित्त आयोजनागत परियोजनाओं हेतु 182.350 लाख रुपये के परिव्यय के विपरीत 186.395 लाख रुपये का प्राविधान किया गया, जिसमें ऋण योजना हेतु 20 लाख रुपया सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष की ऋण योजना के अन्तर्गत 20.00 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है जिसके विपरीत दिसम्बर, 1971 तक 8.332 लाख रुपये व्यय हुआ। प्राविधिक शिक्षा ऋण हेतु दिसम्बर, 1971 तक 349 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये जिसमें से 298 प्रार्थना पत्र उत्तर प्रदेश की संस्थाओं के, 21 अन्य प्रदेशों की संस्थाओं के एवं 30 विदेशों में प्राविधिक शिक्षा ऋण हेतु हैं। इसमें क्रमशः 210 तथा 20 एवं 20 प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये गये। (तालिका-4)।

आवास गृहों का निर्माण

भारत सरकार की केन्द्रीय कार्यकारी दल ने चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में संस्थाओं में कर्मचारियों के आवास गृहों के निर्माण पर अधिक बल दिया है एवं इस परियोजना के अन्तर्गत निम्नलिखित राजकीय बहुधंधी संस्थाओं में 28 आवास गृहों के निर्माण का प्रस्ताव है :—

1—राजकीय बहुधंधी संस्था, कानपुर में 3 आवासगृह।

2—राजकीय बहुधंधी संस्था, मिर्जापुर में 3 आवासगृह।

3—राजकीय बहुधंधी संस्था, फैजाबाद में 3 आवासगृह।

4—राजकीय बहुधंधी संस्था, लखनऊ में 3 आवासगृह।

5—राजकीय बहुधंधी संस्था, बरेली में 2 आवासगृह।

6—राजकीय बहुधंधी संस्था, झांसी में 2 आवासगृह।

7—राजकीय बहुधंधी संस्था, गोन्डा में 3 आवासगृह।

8—राजकीय बहुधंधी संस्था, बस्ती में 3 आवासगृह।

9—राजकीय बहुधंधी संस्था, आजमगढ़ में 3 आवासगृह।

10—राजकीय बहुधंधी संस्था, मुरादाबाद में 3 आवासगृह।

उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुदानित बहुधंधी संस्थाओं के आवासगृहों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है :—

1—हंडिया बहुधंधी संस्था, हंडिया।

2—चन्दौली बहुधंधी संस्था, चन्दौली।

3—इलाहाबाद, बहुधंधी संस्था, इलाहाबाद।

4—डी० जे० पालीटेकनिक, बरौत।

5—डी० एन० पालीटेकनिक, मेरठ।

के० एल० पालीटेकनिक, रुड़की व गान्धी पालीटेकनिक, मुजफ्फरनगर को भी वर्ष 1971–72 में एक लाख रुपया प्रति संस्थान देने का प्रस्ताव है।

प्रशिक्षण का स्तर ऊंचा करने हेतु 12 शिक्षक टीचर्स ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, चन्डीगढ़ में प्रशिक्षण हेतु प्रेषित किये गये। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म पाठशाला का भी संगठन किया गया।

वर्ष 1971–72 में डिग्री स्तर पर 980 की प्रवेश क्षमता के विरुद्ध प्रवेश संख्या 1099 है। डिप्लोमा स्तर पर स्वीकृत प्रवेश क्षमता 5990 के विरुद्ध 5040 छात्रों ने प्रवेश लिया।

केन्द्रीय सरकार की संस्तुति के आधार पर छात्रों को औद्योगिक प्रयोगात्मक प्रशिक्षण की योजना को कार्यान्वित करने का तथा उसकी देखभाल करने हेतु औद्योगिक सम्पर्क परिषद् स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह परिषद् प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं तथा उद्योगों के मध्य सम्पर्क स्थापित कर नये उद्योगों की आवश्यकता में अनुरूप पाये गये पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ, उद्योगों में कार्य कर रहे तकनीशियनों

का प्रशिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षा प्राप्त स्नातकों व डिप्लोमा होल्डरों को उद्योगों में लगाने हेतु मार्गदर्शन का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त यह परिषद् गुणात्मक सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत अध्यापकों के औद्योगिक प्रशिक्षण की देखभाल भी करेगी।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत कार्य कर रहे सम्पूर्ण संस्थानों में 15 प्रतिशत छात्रों को पूर्ण शुल्क एवं 30 प्रतिशत छात्रों को अर्धशुल्क मुक्ति नियमानुसार दी जाती है।

वर्ष 1972–73 के कार्यक्रम

डिग्री स्तर पर वर्ष 1972–73 में बजट प्राविधान उन स्कीमों को पूरा करने हेतु किया गया है जो कि पहले से ही अनुमोदित हो चुकी है।

डिप्लोमा स्तर पर निम्नलिखित नवीन डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को चलाने की योजना बनाई गई है:--

(1) 3 वर्षीय आटोमोबाइल पाठ्यक्रम—पी० एम० बी० पालीटेकनिक, मथुरा—प्रवेश क्षमता–30।

(2) 3 वर्षीय सिरेमिक्स व ग्लास टेक्नालाजी पाठ्यक्रम—एस० जी० पालीटेकनिक, खुर्जा–प्रवेश क्षमता—30।

(3) 2 वर्षीय कस्टम डिजाइन एवं ड्रेस मेकिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ में। प्रवेश क्षमता—10।

(4) (i) 2 वर्षीय कार्मशियल प्रेक्टिस पाठ्यक्रम डिप्लोमा–नैनीताल पालीटेकनिक, नैनीताल–प्रवेश क्षमता–30।

(ii) एक वर्षीय हाई एल्टीट्यूड इन्जीनियरिंग पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम–प्रवेश क्षमता—10।

(5) राजकीय पालीटेकनिक, मिर्जापुर में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम इन्डस्ट्रियल इन्जीनियरिंग में–प्रवेश क्षमता—10।

(6) राजकीय पालीटेकनिक, गोरखपुर में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम रेफरीजरेशन व एयर कन्डीशनिंग में–प्रवेश क्षमता—30।

(7) राजकीय पालीटेकनिक, झांसी में 3 वर्षीय इलेक्ट्रानिक्स पाठ्यक्रम–प्रवेश क्षमता—30।

इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य नये एवं उद्योगों के लिये उपयोगी प्राविधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों पर भी विचार किया जा रहा है।

भारत सरकार द्वारा पालीटेकनिक शिक्षा के पुनः संगठन हेतु गठित दामोदरन कमेटी, 1971 की संस्तुति के अनुरूप इलाहाबाद पालीटेकनिक, इलाहाबाद, चन्दौली पालीटेकनिक, चन्दौली एवं नैनीताल पालीटेकनिक, नैनीताल में छात्रों के उत्पादन व व्यवहारिक अनुभव देने हेतु ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेन्टर चलाया जायगा।

वर्ष 1972–73 में डिग्री स्तर पर 980 तथा डिप्लोमा स्तर पर 6180 छात्रों को भर्ती करने का लक्ष्य है।

वर्ष 1972–73 में प्राविधिक शिक्षा से संबंधित योजनाओं के लिये 160 लाख रु० का परिव्यय प्रस्तावित है।

अन्य कार्यक्रम :

प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं में छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने हेतु एन0सी0सी0 इकाइयां गठित की गई हैं एवं एन0सी0सी0 प्रशिक्षण पर बल दिया जा रहा है ।

प्रदेश की कुछ संस्थाओं, जिनमें इलाहाबाद पालीटेकनिक प्रमुख हैं, को "माडल पालीटेकनिक" बनाने का निर्णय लिया गया है । इनमें परम्परागत पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त विविध प्रशिक्षण, हौबी सैन्टर, वर्कशाप चलाये जायेंगे ।

1971–72 में इन्टर पालीटेकनिक खेल-कूद प्रतियोगिता का आयोजन धूमधाम से किया गया । पूरे प्रदेश को 5 जोनों में बांटा गया । पहले जोन स्तर पर और अन्त में अन्तर्जोनीय प्रतियोगितायें हुईं । अन्तर्जोनीय स्तर पर प्रतियोगितायें सेन्ट्रल टेक्स्टाइल इन्स्टीट्यूट, कानपुर के प्रांगण में 16 से 19 फरवरी, 1972 तक हुईं जिसमें डा0 राम लाल जी सहायक, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश ने पुरस्कार वितरण किया । चन्दौली बहुधंधी संस्था प्रतियोगिताओं में प्रथम तथा इलाहाबाद पालीटेकनिक ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया ।

वर्ष 1971-72 में प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के कार्य-कलापों का विवरण तथा वर्ष 1972-73 के लिए प्रस्तावित कार्यों के कार्यक्रमों का विवरण

1––प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का गठन प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत हुआ है । राज्य सरकार को प्राविधिक शिक्षा के समन्वित विकास (Co-ordinated development) के बारे में परामर्श देना तथा परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर के पाठ्यक्रमों को तैयार करना तथा परीक्षायें लेना परिषद् के मुख्य कार्य हैं ।

2––इस समय परिषद् से सम्बद्ध संस्थाओं की संख्या 49 है । 36 संस्थाओं में डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम तथा 13 संस्थाओं में सर्टिफिकेट स्तर के (सेकेण्ड्री टेक्नीकल सर्टिफिकेट कोर्स) चल रहे हैं ।

3––1971–72 में सिविल, इलैक्ट्रिकल, मेकेनिकल इंजीनियरिंग तथा आटोमोबाइल इंजीनियरिंग के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में तृतीय वर्ष में पुनरीक्षित पाठ्यक्रम चलाया गया ।

4––पिछले तीन वर्षों में परिषद् की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की संख्या 1969, में 11832, 1970, 11471 और 1971 में 10349 थी ।

5––पिछले तीन वर्षों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की अन्तिम परीक्षा में पास होने वाले छात्रों की संख्या संलग्न तालिका में दी गई है । (तालिका 5)

तालिका 1

प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं की सूची

डिप्लोमा स्तर की संस्थायें--

1---राजकीय बहुधंधी संस्था, लखनऊ ।
2---राजकीय बहुधंधी संस्था, गोरखपुर ।
3---राजकीय बहुधंधी संस्था, बरेली ।
4---राजकीय बहुधंधी संस्था, झांसी ।
5---राजकीय बहुधंधी संस्था, कानपुर ।
6---राजकीय बहुधंधी संस्था, फैजाबाद ।
7---राजकीय बहुधंधी संस्था, मिर्जापुर ।
8---राजकीय बहुधंधी संस्था, आजमगढ़ ।
9---राजकीय बहुधंधी संस्था, गोन्डा ।
10---राजकीय बहुधंधी संस्था, बस्ती ।
11---राजकीय बहुधंधी संस्था, मुरादाबाद ।
12---राजकीय बहुधंधी संस्था, श्रीनगर (गढ़वाल) ।
13---सेठ गंगा सागर जटिया बहुधंधी संस्था, खुर्जा ।

सहायता प्राप्त बहुधंधी संस्थायें--

14---मुरलीधर गजानन्द बहुधंधी संस्था, हाथरस ।
15---प्रेम महाविद्यालय बहुधंधी संस्था, मथुरा ।
16---हन्डिया बहुधंधी संस्था, हन्डिया ।
17---चन्दौली बहुधंधी संस्था, चन्दौली ।
18---नैनीताल बहुधंधी संस्था, नैनीताल ।
19---गान्धी बहुधंधी संस्था, मुजफ्फरनगर ।
20---दिगम्बर जैन बहुधंधी संस्था, बड़ौत (मेरठ) ।
21---देवनागरी बहुधंधी संस्था, मेरठ ।
22---इलाहाबाद बहुधंधी संस्था, इलाहाबाद ।
23---लखनऊ बहुधंधी संस्था, लखनऊ ।
24---हेविट बहुधंधी संस्था, लखनऊ ।
25---कन्हैयालाल बहुधंधी संस्था, रुड़की ।
26---टाउन बहुधंधी संस्था, बलिया ।
27---महाराणा प्रताप बहुधंधी संस्था, गोरखपुर ।
28---टेक्निकल कालेज, दयालबाग, आगरा ।

विशिष्ट प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान--

1--राजकीय चर्म संस्थान, आगरा ।

2--राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर ।

3--उत्तर क्षेत्रीय मुद्रण संस्थान, इलाहाबाद ।

4--राजकीय केन्द्रीय वस्त्रोद्योग, संस्थान, कानपुर ।

5--राजकीय महिला बहुधंधी संस्थान, लखनऊ ।

6--इन्स्टीट्यट आफ पेपर टेक्नालाजी, सहारनपुर ।

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय--

1--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, इलाहाबाद ।

2--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, जौनपुर ।

3--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, गाजीपुर ।

4--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, दौराला (मेरठ) ।

5--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, झांसी ।

6--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, लखनऊ ।

7--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, बरेली ।

8--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर ।

9--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, आजमगढ़ ।

10--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, फैजाबाद ।

11--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, मिर्जापुर ।

12--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, गोन्डा ।

13--राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, मुरादाबाद ।

तालिका--२

प्राविधिक शिक्षा में 1970-71 व 17–1972 में मदवार बजट प्राविधान एवं व्यय की स्थिति

(लाख रुपये में)

मद	1970–71		1971–72
	बजट में प्राविधान	31 मार्च, 1971 तक व्यय	बजट का प्राविधान
1	2	3	4
(1) भवन (पूंजी)	3.559	0.908	16.042
(2) साजसज्जा	16.794	4.873	30.931
(3) सहायक अनुदान--			
1--डिग्री संस्थायें	83.891	86.579	63.512
2--डिप्लोमा संस्थायें	14.587	18.097	35.618
(4) ऋण	25.000	14.500	20.000
(5) स्टाफ एवं आवर्तक आकस्मिक ..	11.318	6.329	14.455
(6) सा0 नि0 अधिष्ठान व्यय	0.275	--	1.408
महायोग ..	155.424	131.286	182.966

तालिका 3

वर्ष 1970–71 में विदेशों में, प्रदेश के बाहर तथा प्रदेश के भीतर प्राविधिक शिक्षा ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त व स्वीकृत का विवरण-पत्र

	प्रार्थना-पत्र प्राप्त	स्वीकृत	प्रतिशत
उत्तर प्रदेश में	546	347	63
अन्य प्रदेश में	49	46	94
विदेशों में	47	46	98
महायोग ..	642	439	68

प्राविधिक शिक्षा ऋण हेतु वर्ष 1970–71 में प्राविधान एवं व्यय

(लाख रु० में)

	बजट में प्राविधान	31 मार्च 1971 तक वास्तविक व्यय
ऋण (१) स्तर प्रदेश में	25–000	10–780
(२) अन्य प्रदेश में		1–041
(३) विदेशों में		2–679
महायोग	25–000	14–00

तलिका–4

वर्ष 1971–72 में दिसम्बर, १९७१ तक विदेश में, प्रदेश के बाहर तथा प्रदेश के भीतर प्राविधिक शिक्षा ऋण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त व स्वीकृत का विवरण-पत्र

	प्रार्थना-पत्र प्राप्त	स्वीकृत
उत्तर प्रदेश में	298	210
अन्य प्रदेशों में	21	20
विदेशों में	30	20
महायोग ..	349	250

तालिका–5

परिषद् के अधीन चल रहे विभिन्न पाठ्यक्रमों की सूची तथा उनमें अन्तिम वर्ष में उत्तीर्ण छात्रों की तालिका

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	वर्ष (सप्लीमेन्ट्री सहित)			
		1969	1970	1971	
1	2	3	4	5	
1	सिविल इंजीनियरिंग	589	430	464	
2	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	1051	1275	820	
3	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	1225	1281	946	
4	सिविल इंजीनियरिंग (सिविल कान्स्ट्रक्शन टेक्नोलाजी)	13		—	अब यह पाठ्यक्रम नहीं चल रहा है।
5	मेकेनिकल इंजीनियरिंग (मशीन टूल टेक्नोलोजी)	89	20	—	
6	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	81	30	—	
7	टेक्सटाइल टेक्नोलोजी	17	15	15	
8	टेक्सटाइल केमिस्ट्री	4	4	4	
9	प्रिंटिंग टेक्नोलोजी (लेदर प्रेस प्रिंटिंग)	21	23	20	
10	प्रिंटिंग टेक्नोलोजी लिथोग्राफी	18	20	28	
11	लेदर टेक्नोलोजी (ट्रेनिंग)	15	10	11	
12	आर्किटेक्चुरल असिस्टेन्टशिप	13	25	14	
13	इलेक्ट्रानिक्स ..	11	10	11	
14	स्टेनोग्राफी तथा सेक्रेटेरियल प्रेक्टिस	17	12	12	
*15	आटोमोबाइल पोस्ट डिप्लोमा कोर्स	21	23	25	(इस वर्ष यह पाठ्यक्रम नहीं चल रहा)
16	सेकेन्ड्री टेक्निकल सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम	207	246	132	
17	पल्प तथा पेपर टेक्नोलोजी में दो वर्ष का कोर्स	29	29	30	
18	फुटवियर टेक्नोलाजी तथा लेदर गुड्स मेन्युफैक्चर।	18	32	21	

1	2	3	4	5
19	सिविल इंजीनियरिंग में चार वर्षीय कोर्स (पार्ट टाइम)	13	12	1
20	इलेक्ट्रिकल इंजनियरिंग में चार वर्षीय कोर्स ..	20	21	25
21	मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चार वर्षीय कोर्स..	52	32	46
22	सर्टीफिकेट कोर्स इन पल्प एण्ड पेपर टेक्नोलोजी	25	39	11
23	आटोमोबाइल इंजीनिरिंग (तीन वर्षीय कोर्स)	24	25	25
24	एयर कन्डीशनिंग में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कोर्स ।	—	4	7
25	इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रानिक्स में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा कोर्स ।	—	6	10
26	डिजाइन एण्ड ड्राफ्टिंग में पोस्ट डिप्लोमा ..	—	—	5
27	केमिकल इंजीनियरिंग में चार वर्षीय कोर्स ..	—	— इस वर्ष द्वितीय वर्ष में चल रहा है ।	
28	इन्स्ट्रूमेन्टेशन में एक वर्षीय पोस्ट डिप्लोमा.. कोर्स	—	—	9
		3573	3621	2700

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 44 डी०ई०—1972—1,700 (मैग०)